

अध्याय 1

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित, छत्तीसगढ़ राज्य, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से 10वां सबसे बड़ा राज्य (1,35,191 वर्ग कि.मी.)¹ है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य (2.55 करोड़) है। राज्य की जनसंख्या 2001 में ₹ 2.08 करोड़ थी जो 22.59 प्रतिशत की दशक वृद्धि दर से वर्ष 2011 में ₹ 2.55 करोड़ (अस्थायी आंकड़े) हो गयी, जिसे परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या 39.93² प्रतिशत है जो अखिल भारत के औसत 21.92 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012-13 में राज्य के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,60,187.71 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सक्षरता दर ₹ 71.04 प्रतिशत (81.45 प्रतिशत पुरुष एवं 60.59 प्रतिशत महिला) थीं जो संपूर्ण भारत के औसत 74.04 प्रतिशत (पुरुष 82.14 प्रतिशत एवं महिला 65.46 प्रतिशत) से कम था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्यों पर) ₹ 52,689 थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य हैं। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की आबादी के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर वार्षिक वृद्धि की रुझान/प्रवृत्ति नीचे दर्शाया गया है:-

वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5303567	6108903	7266967	8353495	9461013
सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशत में)	15.70	15.20	19.00	15.00	13.30
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	96972.18	99364	117978 ^P	139515 ^Q	160188 ^A
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशत में)	20.83	2.47	18.73	18.25	14.82

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आँकड़े प्रदान किया गया।)

ए- (एडवांस), क्यू (क्विक); पी (प्राविजनल)

वर्ष 2009-10 और 2010-11 को छोड़कर वर्ष 2008-13 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर की तुलना में अधिक रही। तृतीयक क्षेत्र लगातार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत रहा और यह वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 39.93 प्रतिशत रहा। शेष

¹ छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

² गरीबी रेखा के नीचे - तेदुलकर विधि द्वारा योजना आयोग बी पी एल 2011-12 के प्रेस नोट जुलाई 2013 के अनुसार।

सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 60.07 प्रतिशत के सकल राज्य घरेलु उत्पाद में, 30.18 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र और 29.89 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। राज्य के सकल राज्य घरेलु उत्पाद से सम्बंधित क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। शासन के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 (अ) के भाग (अ) में बताया गया एवं वित्तीय लेखे की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 (अ) के भाग (ब) में प्रदर्शित किया गया है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेख के आधार पर बनाया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2011-12) के सापेक्ष चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि परिशिष्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: राजकोषीय प्रवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

अनुभाग अ: राजस्व	प्राप्तियाँ		अनुभाग अ: राजस्व	2011-12	संवितरण		
	2011-12	2012-13			आयोजनेत्र	आयोजना	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	25,867.38	29,578.09	राजस्व व्यय	22,628.05	14,531.82	12,440.02	26,971.84
कर राजस्व	10,712.25	13,034.21	सामान्य रोपाये	5,904.17	6,609.05	40.26	6,649.31
कर भिन्न राजस्व	4,058.48	4,615.95	सामाजिक रोपाये	10,476.85	3,520.65	7,935.77	11,456.42
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	6,320.44	7,217.60	आर्थिक रोपाये	5,560.35	3,547.67	4,463.99	8,011.66
भारत सरकार से अनुदान	4,776.21	4,710.33	सहायता अनुदान/ अंशदान	686.68	854.45	0.00	854.45
अनुभाग ब: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.93	2.39	पूँजीगत व्यय	4,056.40	5.03	4,914.30	4,919.33
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,282.53	1,542.01	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1,268.74	7.00	1,881.79	1,888.79
अंतर्राज्यीय समायोजन	2.21	1.53	अंतर्राज्यीय समायोजन	4.03			(-) 0.80
लोक ऋण प्राप्तियाँ	421.34	2,057.73	लोक ऋण की अदायगी	852.49			1,039.29
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0.00			0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	34,161.23	39,579.40	लोक लेखा संवितरण	32,940.27			38,526.62
प्रारंभिक नगदी शेष	2,712.22	2,700.86	अंतिम नगदी शेष	2,700.86			2,116.94
योग	64,450.84	75,462.01	योग	64,450.84			75,462.01

(स्रोत : राज्य शासन के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष के तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है :

- पिछले वर्ष की तुलना में स्वंय के कर राजस्व में 22 प्रतिशत ($\text{₹ } 2,322$ करोड़), करेतर राजस्व में 14 प्रतिशत ($\text{₹ } 557$ करोड़), संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा में 14 प्रतिशत ($\text{₹ } 897$ करोड़), की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियाँ में 14 प्रतिशत ($\text{₹ } 3,711$ करोड़) की वृद्धि हुई जबकि, पिछले वर्ष के तुलना में भारत सरकार से सहायता अनुदान में एक प्रतिशत ($\text{₹ } 66$ करोड़) की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाएं में 13 प्रतिशत ($\text{₹ } 745$ करोड़), सामाजिक सेवाएं में नौ प्रतिशत ($\text{₹ } 980$ करोड़) एवं आर्थिक सेवाएं में 44 प्रतिशत ($\text{₹ } 2,451$ करोड़) की वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19 प्रतिशत ($\text{₹ } 4,344$ करोड़) की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत परिव्यय में 21 प्रतिशत ($\text{₹ } 863$ करोड़) की वृद्धि मुख्यतः पूँजीगत व्यय के तहत सङ्कों और पल पर पूँजीगत परिव्यय, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय और उर्जा पर पूँजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि के कारण रहा।
- जबकि वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में 20 प्रतिशत ($\text{₹ } 259$ करोड़) की वृद्धि हुई तथा ऋण एवं अग्रिमों की संवितरण में 49 प्रतिशत ($\text{₹ } 620$ करोड़) की वृद्धि पायी गई।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्यतः संवितरण बाजार ऋण $\text{₹ } 1,500$ करोड़ के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में $\text{₹ } 1,636$ करोड़ की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष ($\text{₹ } 852$ करोड़), की तुलना में इस वर्ष लोक ऋण की अदायगी ($\text{₹ } 1,039$ करोड़) $\text{₹ } 187$ करोड़ की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में लोक लेखे में प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः $\text{₹ } 5,418$ करोड़ एवं $\text{₹ } 5,586$ करोड़ की वृद्धि पायी गई। इस प्रकार शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियों में $\text{₹ } 168$ करोड़ की कमी पायी गई।
- पिछले वर्ष की तुलना में साल के अन्त में नकद शेष में निधियों के अंदर/बाह्य प्रवाह के कारण $\text{₹ } 584$ करोड़ की कमी हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बाहरवै वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व अधिनियम 2005 शीर्षक से एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, संशोधित सितम्बर 2011 बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ /स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा, सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग (टी एच एफ सी) ने एक राजकोषीय एकीकरण मानचित्र निर्धारित किया है जिसके अनुसार राज्यों को जरूरत है कि वर्ष 2007-08 तक राजस्व घाटा को

शुन्य करना या राजस्व आधिक्य को प्राप्त करना तथा वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त करना तथा तत्पश्चात राजस्व शेष को बनाये रखना या आधिक्य प्राप्त करना चाहिए। अन्य राज्यों को वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए तथा सामान्य श्रेणी के राज्यों जिसका राजस्व घाटे वर्ष 2007-08 में शुन्य स्तर को या राजस्व आधिक्य प्राप्त किया था वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत का राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा इसके पश्चात इसे बनाए रखना है। अन्य सामान्य श्रेणी के राज्य को 2013-14 तक तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने का जरूरत है। राजकोषीय सुधार के लिए राज्य को अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम को भी संशोधित करने की आवश्यकता थी। तदानुसार राज्य शासन ने 28 सितम्बर 2011 को छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व एवं राजस्व घाटे को बजट प्रबंधन (संसोधित) अधिनियम, 2011 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य शासन

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, राजस्व घाटा शुन्य रखेगा,
- वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का तीन प्रतिशत तक बनाये रखेगा,
- कुल बकाया कर्जा को जी एस डी पी के नियत प्रतिशत तक बनाये रखेगा।
- वर्ष 2011-12 से प्रारंभ किसी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं अपनाये जाएंगे।

तेरहवें वित्त आयोग (ठीं एच एफ सी) और एफ आर बी एम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मुख्य राजकोषीय निष्पादन **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका : 1.2 निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य की राजकोषीय स्थिति

राजकोषीय पुर्वानुमान	टी.एच.एफ.सी	एफ.आर.बी.एम प्रकटीकरण में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट में प्रस्थाविता लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाट (-)/आधिक्य (+)	चार वर्ष के अंदर जो 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 के अंत तक राजस्व घाटा 'निरंक' करना	राजस्व घाटा को शुन्य करना. राजस्व आधिक्य रु 2,959 करोड़ का अनुमानित	₹ 2,959	₹ 2,606 करोड़ का राजस्व आधिक्य
राजकोषीय घाटा (-) /आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखना	प्रत्येक वर्ष 2011-12 से प्रारंभ से 2014-15 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखना तथा राजकोषीय घाटा ₹ 4,623 करोड़ अनुमानित	₹ 4,623	₹ 2,655 करोड़ का राजकोषीय घाटा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.66 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया कर्ज	23 प्रतिशत	14.72 प्रतिशत	--	12.03 प्रतिशत

(स्रोत : एफ.आर.बी.एम अधिनियम दस्तावेज, तेरहवां वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट और राज्य वित्त लेख 2012-13)

यद्यपि, शासन ने तेरहवें वित्त आयोग एवं एफ आर बी एम अधिनियम द्वारा राजस्व आधिक्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,711 करोड़ (14 प्रतिशत) कि वृद्धि कि तुलना में, 2012-13 में राजस्व व्यय में ₹ 4,344 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व आधिक्य 2011-12 में ₹ 3,239 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,606 करोड़ हो गया।


वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 633 करोड़ कि कमी, एवं पूँजीगत व्यय में ₹ 863 करोड़ की वृद्धि तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अप्रिमों के संवितरण में ₹ 615 करोड़ की वृद्धि, जो गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियां में ₹ 257 करोड़ कि वृद्धि के कारण था से था परिणामतः राजस्व घाटा वर्ष 2011-12 में ₹ 801 करोड़ से ₹ 1,854 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,655 करोड़ हो गया।

कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 12.03 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (23 प्रतिशत) एवं एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों (14.72 प्रतिशत) के अन्दर था।

1.1.3 बजट अनुमानों एवं वास्तविक

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के अनुमान या प्रायोजन की विवेचना प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीत के प्रभावकारी क्रियान्वयन के रूप में शुद्धता के महत्व हो राजस्व एवं व्यय के अनुमानों में मैं व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से विचलन वांछित राजकोषीय उद्योग्य की अप्राप्ति एवं प्रतिकूलता को इंगित करता है।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान के सापेक्षे वास्तविक ब्यौरा **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है।



(स्रोत : वित्त लेखे 2012-13 और बजट अनुमान 2012-13)

चार्ट 1.1 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न मानकों के संबंध में काफी अंतर पाये गये थे जिसकी चर्चा नीचे किया गया है

1. वर्ष 2012-13 के दौरान करेतर राजस्व में ₹ 730 करोड़ (14 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा ₹ 277 करोड़ (4 प्रतिशत), संघ सरकार से सहयता अनुदान ₹ 1,653 करोड़ (26 प्रतिशत) में कमी होने एवं कर राजस्व में ₹ 859 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,801 करोड़ (छ: प्रतिशत) बजट अनुमान से कम थी। हालांकि वर्ष 2011-12 में ₹ 57 करोड़ की वृद्धि के तुलना में इस वर्ष राजस्व प्राप्तियां में ₹ 1,801 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
 - क. कर राजस्व मुख्यतः राज्य उत्पाद में (₹ 839 करोड़) माल एवं यात्री कर में (₹ 149 करोड़), विद्युत कर एवं शुल्क में (₹ 177 करोड़) की वृद्धि होने एवं आंशिक रूप से विक्रय, व्यापार पर इत्यादि करों पर (₹ 271 करोड़) के कम प्राप्तियां होने के कारण कर राजस्व बजट अनुमान से ज्यादा था। हालांकि वर्ष 2011-12 में ₹ 882 (नौ प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2012-13 में कर राजस्व बजट अनुमान से ₹ 859 करोड़ (सात प्रतिशत) से अधिक रहा।
 - ख. कर भिन्न राजस्व मुख्यतः लघु सिंचाई में कम प्राप्तियां (₹ 930 करोड़) होने के कारण बजट अनुमान से कम था, हालांकि कर भिन्न राजस्व वर्ष 2011-12 में ₹ 253 करोड़ (छ: प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2012-13 में ₹ 730 करोड़ (14 प्रतिशत) बजट अनुमान से कम रहा।
2. वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 में क्रमशः ₹ 1,834 करोड़ (सात प्रतिशत) एवं ₹ 1,021 करोड़ (20 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2012-13 में किये गये बजट अनुमानों से क्रमशः ₹ 1,448 करोड़ (पाँच प्रतिशत) एवं ₹ 2,271 करोड़ (32 प्रतिशत) से कम था।
 - क. राजस्व व्यय में विचलन बजट अनुमान में किये गये अनुमान के अंतर्गत सामान्य सेवायें ₹ 590 करोड़ (आठ प्रतिशत) एवं सामाजिक सेवायें ₹ 1,903 करोड़ (14 प्रतिशत) से कम खर्च के कारण हुआ यद्यपि राजस्व व्यय बजट अनुपात के तहत आर्थिक सेवाएं ₹ 940 करोड़ (13 प्रतिशत) तथा सहयोग एवं सहायता अनुदान ₹ 106 करोड़ (14 प्रतिशत) से अधिक रहा।
 - ख. पूँजीगत व्यय में विचलन सामान्य सेवायें ₹ 37 करोड़ (23 प्रतिशत), आर्थिक सेवायें ₹ 1,722 करोड़ (31 प्रतिशत) एवं सामाजिक सेवायें में ₹ 512 करोड़ (35 प्रतिशत) के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुआ।
3. ब्याज भुगतान पर वास्तविक व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 110 करोड़ (आठ प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2012-13 में बजट अनुमान में किये गये आंकलन ₹ 189 करोड़ (14 प्रतिशत) से कम हुआ।

4. वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व अधिक्य, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 1,891 करोड़ की वृद्धि ₹ 3,019 करोड़ एवं ₹ 2,908 करोड़ की कमी की तुलना में वर्ष 2012-13 में किये गये बजट अनुमानों से क्रमशः ₹ 353 करोड़ (12 प्रतिशत), ₹ 1,968 करोड़ (43 प्रतिशत) एवं ₹ 1,779 करोड़ (54 प्रतिशत) से कम रहा।

1.1.4 बजट 2012-13 में प्रमुख नीतिगत पहल

बजट 2012-13 के दौरान बजट अनुमान ₹ 37,574 करोड़ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अधिभावी विषय के रूप में समावेशी एवं तेजी से विकास की रणनीति पर और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिवद्धता पर जोर दिया गया। राज्य शासन ने पहली बार कृषि से संबंधित योजनाओं पर कुल परिव्यय ₹ 6,244 करोड़ के लिए पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान व्यय और अप्रयुक्त राशि के साथ बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं के अंतर्गत किये गये प्रावधानों को तालिका 1.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका-1.3- 2012-13 के दौरान नई योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

क्षेत्र	2012-13 के दौरान नई योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति
सामान्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान दो नई योजनाएं जैसे भू-अभिलेखों के कम्प्यूटराइजेशन योजना में विस्तार एवं नई सिनेमा हाल/मल्टीप्लेक्स का प्रोमोशन प्रस्तावित था। जिसके लिए कुल ₹ 11.54 करोड़ का प्रावधान था। जबकि सम्पूर्ण बजट वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा।
सामाजिक क्षेत्र	वर्ष के दौरान कुल 16 नई योजनाएं प्रस्तुत की गई जिसकी कुल लागत क्रियान्वयन के लिए ₹ 231.74 करोड़ थी। इस वर्ष के दौरान शासन ने केवल ₹ 123.80 करोड़ (53 प्रतिशत) खर्च की एवं ₹ 107.94 करोड़ (47 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।
आर्थिक क्षेत्र	इस वर्ष के दौरान कुल 34 नई योजना प्रस्तावित था जिसमें 12 योजनाएं कृषि एवं सह सेवाएं से संबंधित थी। इन सभी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए ₹ 617.94 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया जिसमें शासन ने मात्र ₹ 365.24 करोड़ (59 प्रतिशत) खर्च की और शेष ₹ 252.70 करोड़ (41 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।

(स्रोत : परिशिष्ट 8 तथा विस्तृत विनियोग लेखे 2012-13)


तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि ₹ 372.18 करोड़ का बजट प्रावधान नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किया गया जिसका बेहतर उपयोग नहीं हुआ।

1.2 राज्य के संसाधन


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य शासन के संसाधन प्राप्तियों की दो प्रवाह राजस्व और पूंजी से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघीय करो एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों जैसे विनिवेश से प्राप्तियां ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वितीय सरकारी/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण से संभूति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त लोक लेखा के


संवितरण उपरांत उपलब्ध धनराशि शासन द्वारा अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.1** वार्षिक वित्त लेखे 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियां एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों के प्रवृत्ति को चित्रित करता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है।



(स्त्रीत : वित्त लेखे 2012-13)



(सत्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत : वित्त लेखे 2012-13)

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियां³ वर्ष 2008-09 में ₹ 17,045 करोड़ के स्तर से ₹ 17,190 करोड़ बढ़कर (101 प्रतिशत) वर्ष 2012-13 में ₹ 34,235 करोड़ हो गया जिसमें राजस्व प्राप्तियां, पंजीगत प्राप्तियां एवं शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां क्रमशः ₹ 13,915 करोड़, ₹ 2,681 करोड़ एवं ₹ 594 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य की कुल प्राप्तियां वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 34,235 करोड़ थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत (₹ 5,437 करोड़) वृद्धि हुई। जिसमें मुख्यतः राजस्व एवं पंजीगत प्राप्तियां में क्रमशः 14 प्रतिशत (₹ 3,711 करोड़) एवं 111 प्रतिशत (₹ 1,894 करोड़) की वृद्धि हुई। हालाकि शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2011-12 में ₹ 1,221 करोड़ के स्तर से 14 प्रतिशत (₹ 168 करोड़) घट कर वर्ष 2012-13 में 1,053 करोड़ हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन⁴ हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान तंत्र में इन राशियों का लेन-देन राज्य बजट एवं राज्य कोषागार से नहीं होता है इसलिए राज्य के वित लेखे में नहीं दर्शाया जाता है। जैसे, वार्षिक वित लेखा राज्य सरकार के नियंत्रण में संसाधनों की एक संपूर्ण आंकड़े प्रदर्शित नहीं करता है। कुल संसाधनों की उपलब्धता पर वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का सीधे निधियों से धन राशि हस्तांतरण तालिका 1.4 में दिखाया गया है।

³ इस वर्ष के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां (लोक लेखा प्राप्तियां लोक लेखा संवितरण) को दर्शाया गया, जबकी, पुर्य वर्ष में सकल लोक लेखा प्राप्तियों को दर्शाया गया था।

⁴ राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में ऐसा कोई भी संगठन/संस्थान जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, जो राज्य शासन द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन रामिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।

वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय राशि ₹ 4,497.58 करोड़ राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई जिसमें पिछले वर्ष 2011-12 में ₹ 4,989.89 करोड़ की तुलना में ₹ 492.30 करोड़ (10 प्रतिशत) कमी हुई है।

भारत सरकार द्वारा सीधे प्रमुख कार्यक्रमों में से कुछ के संबंध में प्रमुख राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धन की स्थिति तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4 प्रमुख राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे धनराशि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधियां			
		2010-11	2011-12	2012-13	विगत वर्ष के तुलना में वृद्धि/कमी(-)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	1,685.05	1,638.56	2,031.36	392.80 (24)
सर्व शिक्षा अभियान	मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	878.63	698.70	850.16	151.46 (22)
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)	मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	15.25	344.70	308.97	-35.73 (-13)
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	205.87	363.21	218.79	-144.42 (-40)
इंदिरा आवास योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	132.80	258.32	167.94	-90.38 (-35)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	122.01	139.06	168.23	29.17 (21)
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	संचालक उद्यानिकी रायपुर	96.57	85.23	91.56	6.33 (07)
आजिविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधीकरण (DRDA)	80.24	66.18	93.00	26.82 (41)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था (SAMETI)	19.54	56.25	52.67	-3.58 (-06)
एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	73.72	91.00	9.73	-81.27 (-89)

(स्रोत : वित्त लेखे 2012-13 के परिसीट-सात)


(कोष्टक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में बदलाव को दर्शाते हैं)

तालिका 1.4 यह बताता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ₹ 392.80 करोड़ (24 प्रतिशत) एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 151.46 करोड़ (22 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ₹ 144.42 करोड़ (40 प्रतिशत), इंदिरा आवास योजना में ₹ 90.38 करोड़ एवं एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में ₹ 81.27 करोड़ (89 प्रतिशत) की कमी पाई गई।


शेष अव्ययित राशि जो क्रियान्वयन एजेंसियों के पास थी, शासकीय लेखे से बाहर रही एवं योजनाओं के संलिप्त सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे का विवरण संख्या-11 शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को **परिशिष्ट 1.3** एवं चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी क्रमशः दर्शाया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2008-09 में ₹ 15,663 करोड़ के स्तर में प्रगतिशील बढ़िये से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 29,578 करोड़ हो गई। तथा 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष के तुलना में 14 प्रतिशत (₹ 3,711 करोड़) का वृद्धि रहा। जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत राज्य का स्वंयं के कर एवं करेतर राजस्व से प्राप्त हुआ तथा शेष 40 प्रतिशत केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से हुआ। जिसमें राजस्व कर में 22 प्रतिशत (₹ 2,322 करोड़) की वृद्धि, करेतर राजस्व में 14 प्रतिशत (₹ 558 करोड़) की वृद्धि, संघीय कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा में 14 प्रतिशत (₹ 897 करोड़) जो पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत (₹ 66 करोड़) की कमी हुई है। इस तरह राजस्व प्राप्तियों में कुल समग्र वृद्धि 14 प्रतिशत (₹ 3,711 करोड़) हुई है। जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में दिखाया गया है।

तालिका 1.5 जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	15,663	18,154	22,720	25,867	29,578
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) का विकास दर (प्रतिशत)	12.86	15.90	25.15	13.86	14.35
राज्य के स्वंयं कर विकास दर (प्रतिशत)		7,123	9,005	10,712	13,034
राज्य के स्वंयं के कर का विकास दर (प्रतिशत)	17.37	8.03	26.42	18.96	21.68
सकल राज्य घरेलु उत्पाद ⁵ (₹ करोड़ में)	96,972	99,364	1,17,978 ^P	1,39,515 ^Q	1,60,188 ^A
सकल राज्य घरेलु उत्पाद का विकास दर	20.83	2.47	18.73	18.26	14.82
राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलु उत्पाद (प्रतिशत)	16.15	18.27	19.26	18.54	18.46
उत्प्लावकता अनुपात ⁶					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.62	6.43	1.34	0.76	0.97
सकल राज्य घरेलु उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता	0.83	3.25	1.41	1.04	1.46

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ए- (एडवांस) क्यू (क्रिकेट) पी (प्राविजनिल)

राजस्व उत्प्लावकता जो सीधे जीएसडीपी और राजस्व प्राप्तियों के विकास के अनुपात में है, अस्थिर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो वर्ष 2008-09 में न्यूनतम 0.62 पर था। जो वर्ष 2009-10 में जीएसडीपी में न्यूनतम वृद्धि के कारण

⁵ सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े बदला गया। पुर्व वर्ष में सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े जैसे कि वर्ष 2009-10 ₹ 99,262 करोड़, 2010-11 में ₹ 1,17,567 करोड़ तथा 2011-12 में ₹ 1,35,536 करोड़ दिखाया गया था। अतः उत्प्लावकता का आंकड़े बदला गया।

⁶ चल आधार में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में उत्प्लावकता अनुपात चल राजकोषीय अनुक्रियाशीलता के अंश या घट बढ़ (लोच) का संकेत देता है। उदाहरण के लिए 0.6 के स्तर पर राजस्व उत्प्लावकता से तात्पर्य है कि यदि जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि की ओर उन्मुख हैं।

6.43 हो गया जो पुनः वर्ष 2011-12 में 0.76 कम हुआ। जबकि राजस्व उत्प्लावकता 2012-13 में मामूली वृद्धि 0.97 तक हुई।

राज्य का अपना कर राजस्व उत्प्लावकता में अस्थिरता व्यापक रूप से पाया गया जिसका मुख्य कारण कर राजस्व एवं उत्प्लावकता अनुपात के वृद्धि में अस्थिर रहा जो 2008-09 में न्यूनतम 0.83 से बढ़कर 2009-10 में 3.25 हो गया। हालाकि राज्य का अपना कर राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के सापेक्ष 2011-12 में 1.04 से बढ़कर 2012-13 में 1.46 हो गया।

1.3.1 राज्य के स्वयं का संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं सहायता अनुदान का निर्धारण वित्त आयोग का अनुशंसाओं संसाधन जुटाने के राज्य की निष्पादन क्षमता का आकलन उसके स्वयं के स्त्रोतों से किया गया जिसमें स्वयं के कर भिन्न राजस्व शामिल है।

राज्य के वार्तविक कर एवं करेतर प्राप्तियां वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग और एफ आर बी एम के प्रकटीकरण एवं बजट अनुमानों के द्वारा किये गये मूल्यांकन के सापेक्ष तालिका 1.6 एवं 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.6 वर्ष 2012-13 के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व का विवरण

	(₹ करोड़ में)			
	टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये अकिलन	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम प्रकटीकरण	वार्तविक व्यय
राज्य का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	11,320	12,176	12,176	13,034
राज्य का कर भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	2,652	5,346	5,346	4,616

(स्रोत : वित्त लेखे 2012-13, एफ. आर. बी. एम दस्तावेज, बजट पुस्तिका एवं तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन)

तालिका 1.7 वर्ष 2008-13 के मध्य कर/ करेतर राजस्व की वृद्धि दर

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व (₹ करोड़ में)	6,594	7,123	9,005	10,712	13,034
विकास दर (प्रतिशत)	17.37	8.03	26.42	18.96	21.68
कर भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	2,202	3,043	3,836	4,058	4,616
विकास दर (प्रतिशत)	8.96	38.19	26.06	5.81	13.74

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान राज्य का कर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपण (₹ 11,320 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 12,176 करोड़) द्वारा किये गये मूल्यांकन से क्रमशः ₹ 1,714 करोड़ एवं ₹ 858 करोड़ अधिक था। हालाकि राज्य का अपना कर राजस्व बजट अनुमान एवं एफ आर बी एम प्रकटीकरण द्वारा किये गये अनुमान से ₹ 730 करोड़ कम था लेकिन तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमान से ₹ 1,964 करोड़ अधिक था।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रह **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8 स्वयं के कर राजस्व का क्षेत्रवार घटक

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011- 12	2012- 13	विगत वर्ष के तुलना में विकास दर के प्रतिशत
वेट /विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,611	3,712	4,841	6,006	6,929	15
राज्य आबकारी	964	1,188	1,506	1,597	2,486	56
वाहन पर कर	314	352	428	502	592	18
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	496	583	786	846	952	13
भूमि राजस्व	359	160	247	271	234	-14
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	421	696	675	826	954	15
अन्य कर ⁷	429	432	522	664	887	33
योग	6,594	7,123	9,005	10,712	13,034	
विकास दर (प्रतिशत में)	17.37	8.03	26.42	18.96	21.68	

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008-13 के दौरान कर राजस्व की वृद्धि दर को एक अस्थिर की प्रवृत्ति देखी गई जो आठ प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच रहा। यद्यपि कर राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 18.96 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2012-13 में 21.68 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष (₹ 10,712 करोड़) के तुलना में वर्ष 2012-13 (₹ 13,034 करोड़) में कर राजस्व में ₹ 2,322 करोड़ का वृद्धि मुख्यतः राज्य उत्पाद (₹ 889 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 223 करोड़), टिकटों एवं पंजीयन पर कर (₹ 107 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 90 करोड़) में वृद्धि रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री एवं व्यापार पर मुल्य संबंधित कर/करों में वृद्धि दर 15 प्रतिशत पाई गई जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय बिक्री कर एवं प्रवेश कर पर वैट के लिए बेहतर संचालन एवं सुविधाएं व्यापारियों को उपलब्ध कराना है जैसे ई-पंजीयन, ई-भुगतान एवं ई-सी एवं एफ प्रारूप। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि राज्य में नये मल्टीप्लेक्स की स्थापना एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा के कारण था।

⁷ अन्य करों होटल विल आय तथा व्यय पर कर विद्युत पर कर और वस्तु तथा सेवाएं तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व प्राप्तियों की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका- 1.9 करेतर राजस्व कि संरचना
(₹ करोड़ में)

आयोजना शिर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	विगत वर्ष के तुलना में वृद्धि
ब्याज प्राप्तियां	237.40	220.70	170.95	216.57	243.13	12
लाभांश एवं लाभ	0.10	0.44	4.30	0.46	2.19	376
अन्य करेतर राजस्व	1,964.71	2,821.86	3,660.07	3,841.45	4,370.63	14
कुल करेतर राजस्व	2,202.21	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95	14

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 दौरान ब्याज प्राप्तियां वर्ष 2008-09 में ₹ 237.40 करोड़ के रत्तर से घटकर वर्ष 2010-11 में ₹ 170.95 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2012-13 में पुनः ₹ 243.13 करोड़ का वृद्धि हुआ। लाभांश एवं मुनाफे में विचलन की प्रवृत्ति पाई गई जो वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य ₹ 0.10 करोड़ से ₹ 4.30 करोड़ के बीच रहा। यद्यपि अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2008-09 में ₹ 1,965 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 4,371 करोड़ हो गया।

कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2008-09 में ₹ 2,202 करोड़ से ₹ 2,414 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 4,616 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान करेतर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत (₹ 557 करोड़) की वृद्धि होने का मुख्य कारण अलौह खनन एवं धातुकर्मियों उद्योगों में ₹ 393 करोड़ लघु सिंचाई में ₹ 54 करोड़, दीर्घ सिंचाई में ₹ 26 करोड़ एवं वाणिकी एवं वन्य जीवन में ₹ 22 करोड़ की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण अर्द्ध शासकीय कार्यों में खनिज धातुओं एवं रायलटी दरों के उपयोग में वृद्धि था। अलौह खनन एवं धातुकर्मियों उद्योगों का कुल करेतर राजस्व (₹ 4,616 करोड़) में 68 प्रतिशत (₹ 3,138 करोड़) का योगदान रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मियों उद्योगों की वृद्धि कुल करेतर राजस्व की वृद्धि (₹ 557 करोड़) का 70 प्रतिशत (₹ 393 करोड़) था। ब्याज प्राप्तियों एवं लाभांश और मुनाफे में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण **तालिका 1.10** में दिखाया गया है।

तालिका 1.10 - भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयजनेतर अनुदान	662.19	1,482.20	1,397.45	1,545.07	1,227.29
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,030.72	1,429.42	2,169.91	1,930.51	2,112.69
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	56.62	71.84	47.95	61.75	107.28
केन्द्रीय प्रवर्तीत योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	859.38	623.28	838.58	1,238.88	1,263.07
विशेष योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	0	0	0	0	0
कुल	2,608.91	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33
विगत वर्ष के तुलना में प्रतिशत वृद्धि	18.32	38.25	23.49	7.24	(-) 1.38
राजस्व प्राप्तियां के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	16.66	19.87	19.60	18.46	15.93
राजस्व प्राप्तियां	15,663	18,154	22,720	25,867	29,578

(स्रोत : संबंधित वर्षों का वित्त लेखें)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2008-09 में ₹ 2,609 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 4,710 करोड़ हो गया। यद्यपि भारत सरकार से अनुदान की मात्रा वर्ष 2011-12 में ₹ 4,776 करोड़ से ₹ 66 करोड़ घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 4,710 करोड़ हुआ जिसका मुख्य कारण आयोजनेतर अनुदान (₹ 318 करोड़) का कारण राज्य आयोजन, केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रवर्तीत योजना के क्रमशः ₹ 182 करोड़ ₹ 46 करोड़ एवं ₹ 24 करोड़ के वृद्धि के समायोजन के कारण था।

आयोजनेतर अनुदान में कमी का मुख्य कारण राजस्व (केन्द्रीय बिक्री कर) ₹ 415 करोड़ के नुकसान के प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त न होना था।

1.3.3 ऋण समेकन एवं राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य के घाटे में कमी लाने के लिए राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर केन्द्रीय ऋण की ऋण राहत योजना जिसका नाम 'ऋण समेकन एवं राहत सुविधाओं' योजना बनाया। वर्ष 2012-13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय ऋण राशि ₹ 23.65 करोड़ को अपलेखित करने हेतु भारत सरकार से ₹ 26.28 करोड़ प्राप्त किया। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बकाया ऋण की राशि ₹ 25.21 करोड़ में से राज्य शासन ने राशि ₹ 23.65 करोड़ को अपलेखित किया।

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 30.50 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी। राज्य का हिस्सा केन्द्रीय कर की शुद्ध आय (सेवा कर को छोड़कर) में एवं सेवा कर की शुद्ध

आय में क्रमशः 2.47 एवं 2.51 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य ने संघीय करों के हिस्से के रूप में पिछले वर्ष 2011-12 में ₹ 6,320 करोड़ की तुलना में ₹ 7,218 करोड़ की प्राप्त किया।

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा में ₹ 897 करोड़ की वृद्धि का कारण सेवा कर (₹ 300 करोड़), आय पर कर निगम के अलावे (₹ 288 करोड़), एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 106 करोड़), निगम कर (₹ 105 करोड़) एवं सीमा शुल्क (₹ 106 करोड़) था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग के सिफरिशों पर राज्य के हस्तान्तरण की उपयोगिता

राज्य शासन के विभिन्न अंगों में सुधार करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग ने अनुदान की सिफारिश की। वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या-11 के अनुसार राज्य शासन ने वित्त आयोग से ₹ 1,153.90 करोड़ का अनुदान (₹ 1,027.75 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-104-अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 (1)- वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत एवं ₹ 126.15 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-019-अनुदान के अंतर्गत राज्य आपदा उत्तरदायी कोष में योगदान करने की दिशा में प्राप्त किया। तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपयोगिता की स्थिति विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तालिका 1.11 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.11 वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधान	स्थिति				अनुपयुक्त राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत (+)/आधिक्य (-)	कुल अनुपयुक्त राशि	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
राजस्व लेखे						
2014-न्याय प्रशासन	24.37	0.00	0.05	24.32	24.32	99.79
2053-जिला प्रशासन	9.00	8.52	0.00	0.48	9.00	100.00
2054-कोष एवं लेखा	1.40	0.00	0.41	0.99	0.99	70.71
2055-पुलिस	0.65	0.00	0.21	0.44	0.44	67.69
2056-जेल	3.43	0.00	0.00	3.43	3.43	100.00
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	100.00
2202-सामान्य शिक्षा	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2203-तकनिकी शिक्षा	0.00	0.00	0.08	-0.08	-0.08	—
2205-कला तथा संस्कृति	4.55	0.00	0.00	4.55	4.55	100.00
2217-शहरी विकास	129.72	62.43	67.29	0.00	62.43	48.13
2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	100.31	14.16	88.39	-2.24	11.92	11.88
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	446.46	60.19	386.27	0	60.19	13.48
3054-सड़क एवं सेतु	83.00	0.00	0.00	83.00	83.00	100.00
3454-जन-गणना एवं सांख्यिकी	24.26	0.00	1.05	23.21	23.21	95.67

1	2	3	4	5	6=3+5	7
पूँजीगत लेखे						
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	94.71	1.65	30.23	62.83	64.48	68.08
4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	6.70	0.00	0.00	6.70	6.70	100.00
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	16.53	0.00	5.05	11.48	11.48	69.45
4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	37.50	1.77	35.73	0.00	1.77	4.72
4406-वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	13.14	2.65	6.69	3.80	6.45	49.08
योग	1,369.62	151.37	994.45	223.80	375.17	27.40

(स्रोत : वर्ष 2012-13 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका से देखा जा सकता है कि कुल राशि ₹ 1,369.62 करोड़ की प्रावधान में से राशि ₹ 994.45 करोड़ (73 प्रतिशत) का उपयोग किया गया और शेष ₹ 375.17 करोड़ (27 प्रतिशत) या तो समर्पित (₹ 151.37 करोड़) किया गया या वर्ष 2012-13 के अंत में सरकार के खाते में व्यपगत (₹ 223.80 करोड़) हुआ।

आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 2056-जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 3054-सड़कें एवं पुल तथा 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत कोई भी राशि का उपयोग नहीं किया गया और अन्ततः शासन के खाते में व्यपगत हुआ। मुख्य शीर्ष 2203-तकनिकी शिक्षा एवं 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी को छोड़कर शेष मामलों में बचत की प्रतिशत 4.72 से 99.79 प्रतिशत के बीच रहा। जबकि मुख्य शीर्ष 2203- तकनिकी शिक्षा के अंतर्गत ₹ 0.08 करोड़ का प्रावधान से ज्यादा किया गया तथा मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी और वन्य जीव के अन्तर्गत ₹ 14.16 करोड़ समर्पण के पश्चात कुल प्रावधान से कुल व्यय राशि ₹ 2.24 करोड़ से अधिक रहा। मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा और 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय के तहत् सम्पूर्ण राशि का उपयोग हुआ।

इस तरह शासन तेरहवीं वित्त आयोग के शिफारिशों पर उपलब्ध कराई गई राशि का 27 प्रतिशत (₹ 375.17 करोड़) का उपयोग करने में विफल रही। राशि के समर्पण /बचत में मुख्य कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति, पर भारत सरकार से धन की प्राप्ति, कार्य योजना नहीं बनाये जाते और प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलता था।

1.3.6 संग्रहण की लागत

बिक्री एवं व्यापार आदि पर वैट/कर, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान इनके संग्रहण पर व्यय तथा इसके सकल संग्रहण पर प्रतिशत साथ ही संबंधित वर्षों के लिए अखिल भारतीय औसत लागत का संग्रह तालिका 1.12 में दिखाया गया है।

तालिका 1.12 करों एवं शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	वित्त वर्षों में भारत की औसत प्रतिशतता
विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	2010-11	4,840.79	29.99	0.62	0.96
	2011-12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012-13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
वाहन पर कर	2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07
	2011-12	502.19	10.00	1.99	3.71
	2012-13	591.75	10.73	1.81	2.96
राज्य आवकारी	2010-11	1,506.44	40.68	2.70	3.64
	2011-12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
	2012-13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	2010-11	785.85	18.52	2.36	2.47
	2011-12	845.82	20.75	2.45	1.60
	2012-13	952.47	19.09	2.00	1.89

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेख एवं महानेखाकार के राजस्व खंड द्वारा प्रत्युत सूचना)

तालिका 1.12 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री एवं व्यापार आदि पर वैट/करों के संबंध में, संग्रह की लागत का प्रतिशत वाहन पर एवं राज्य उत्पाद शुल्क पर कर अखिल भारतीय औसत से भी कम था। यद्यपि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के सापेक्ष यह अखिल भारतीय औसत से अधिक था, बिक्री, व्यापार आदि पर वैट/कर, वर्ष 2012-13 के दौरान वाहन पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के संग्रहण पर होने वाले व्यय का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कम था।

1.4 पुंजीगत प्राप्तियां

पुंजीगत प्राप्तियां विविध पुंजीगत प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर राज्य समायोजन और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से मिलकर बना है। वर्ष 2008-13 के दौरान पुंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति तालिका 1.13 और परिशिष्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13 पूंजीगत प्राप्तियां के संरचना तथा विकास कि प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

शासन के प्राप्तियों का स्त्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां	923.00	2,284.99	1,361.56	1,710.01	3,603.66
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	1.78	2.31	2.56	3.93	2.39
ऋण एवं अग्रिमों कि वसूली	533.42	992.43	561.16	1,282.53	1,542.01
अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.46	3.04	2.65	2.21	1.53
कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	536.66	997.78	566.37	1,288.67	1,545.93
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां के विकास कि दर	15.16	85.92	-43.24	127.53	19.96
लोक ऋण प्राप्तियां	386.34	1,287.21	795.19	421.34	2,057.73
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियां के विकास कि दर	47.50	233.18	-38.22	-47.01	388.38
सकल राज्य घरेलु उत्पाद के विकास कि दर	20.83	2.47	18.73	18.25	14.82
पूंजीगत प्राप्तियां के विकास कि दर (प्रतिशत)	26.79	147.56	-40.41	25.59	110.74

(स्त्रोत : सम्बद्धित वर्षों का वित्त लेखे)

तालिका 1.13 से देखा जा सकता है कि राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों वर्ष 2008-09 में ₹ 923 करोड़ से ₹ 2,681 करोड़ वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 3,604 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,894 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,636 करोड़ एवं अग्रिम और ऋणों की वसूली में ₹ 259 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। राज्य शासन ने वर्ष 2009-10 में ₹ 700 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 में ₹ 1,500 करोड़ का बाजार ऋण लिया जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 421.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,057.73 करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 1,710.01 से बढ़कर ₹ 3,603.66 करोड़ हो गया।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2008-09 में ₹ 533 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,542 करोड़ हो गया। मार्च 2013 में कुल मिलाकर ₹ 936 करोड़ ऋणों की वसूली तथा उनके ब्याज बकाया थे। जबकि इस वर्ष के दौरान चार ऋणी संस्थाओं को लिए जैसे छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम (₹ 126.12 करोड़), दंतेश्वरी मय्या शुगर मिल, बालोद (₹ 8.50 करोड़), भोरमदेव को-आपरेटिव शुगर मिल, कवर्धा (₹ 16 करोड़) और मां महामाया को-आपरेटिव शुगर मिल, अम्बिकापुर (₹ 11 करोड़) जिनसे पहले भी ऋण की अदायगी बकाया था।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोंतों (वित्तीय संस्थाओं से बाजार ऋण उधारी) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों की प्राप्तियां

कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों ₹ 2,041 करोड़ में से ₹ 1,500 करोड़ (73 प्रतिशत) का बाजार ऋण इसे वर्ष के दौरान लिया गया। शेष बचे हुए ₹ 541 करोड़ ऋण प्राप्तियों में से ₹ 289 करोड़ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से एवं ₹ 252 करोड़ राष्ट्रीय लघु बचत कोष से लिया गया। शासन ने भारत सरकार से भी अवरुद्ध ऋण के अंतर्गत ₹ 17 करोड़ उधार लिए थे।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

प्राप्तियों एवं संवितरण निश्चित लेन-देन के संबंध में जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंता एवं प्रेषण आदि जो राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं रखा जाता है। जिसे संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखा जाता है। और तथा जो राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। संवितरण के बाद शेष राशि शासन उपयोग के लिये उपलब्ध होती है। अवधि 2008-13 के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां और इसकी संरचना तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.14 शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां तथा इसके संरचना

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शिरों के अन्तर्गत संसाधनें	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां⁸					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	73.74	294.37	328.97	307.76	293.47
आरक्षित निधि	365.90	344.86	21.60	208.75	530.88
उचंता तथा विविध	-91.84	127.92	111.03	22.40	-28.58
प्रेषण	80.65	-111.84	33.68	96.10	-264.17
जमा तथा आग्रिम	30.21	-22.46	355.25	585.95	521.18
रिजव बैंक से अन्त शेष ओवर ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल लोक लेखे प्राप्तियां	458.66	632.85	628.47	1,220.96	1,052.78

(स्रोत : सम्बद्धित वर्षों के वित्त लेखे)

शुद्ध लोक लेखा के प्राप्तियां (लो.ले.प्रा.) (कुल लो.ले.प्रा घटाया कुल लोक लेखा संवितरण) में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान विचलन की प्रवृत्ति देखी गई और जो ₹ 458.66 करोड़ से ₹ 1,220.96 करोड़ के बीच रहा। शुद्ध लो.ले.प्रा. वर्ष 2011-12 में ₹ 1,220.96 करोड़ से ₹ 168.18 करोड़ घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,052.78 करोड़ हो गया। लघु बचत, भविष्य निधि आदि, उचंता तथा विविध, प्रेषण एवं जमा तथा आग्रिम में कमी के कारण शुद्ध लो.ले.प्रा. में कमी हुई। यद्यपि आरक्षित निधि लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि हुई।


⁸ शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां - भुगतान तथा उचंता एवं विविध तथा आरक्षित निधि के अंकड़े निवेश अंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया।

1.6 संसाधनों का उपयोग

चूंकि राज्य शासन को व्यय करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है अतः उनके उत्तर पर व्यय के बटवारे के विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय दायित्व संबंधी विधान के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण कर लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाईयाँ हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर आविरत राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकास एवं सामाजिक सेवा उन्मुख व्यय की कीमत पर लागू नहीं किया गया।


1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 विगत पाँच वर्षों (2008-13) कि अवधि में किये गये कुल व्यय⁹ की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। और इसके संघटक के दोनों शब्दों में ‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं क्रियाकलापों द्वारा व्यय के क्रमशः **चार्ट 1.6** एवं **1.7** में वित्रित किया गया है।



(स्रोत : सम्बद्धित वर्षों के वित्त लेखे)

⁹ कुल व्यय के अंतर्गत लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।



(स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संघटक का विवरण निचे तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15 कुल व्यय एवं इसकी संरचना

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	17,226	20,910	22,876	27,957	33,779
विकास दर (प्रतिशत में)	19.02	21.39	9.40	22.21	20.82
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय के प्रतिशत में)	13,794 (80)	17,265 (83)	19,355 (85)	22,628 (81)	26,972 (80)
जिसमें आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	8,373	10,448	11,286	12,624	14,532
पूँजीगत व्यय (कुल व्यय से प्रतिशतता)	2,940 (17)	2,745 (13)	2,952 (13)	4,056 (14)	4,919 (15)
ऋण एवं अग्रिम* (कुल व्यय से प्रतिशतता)	492 (03)	900 (04)	569 (02)	1,273 (05)	1,888 (05)
राज्य के सकल राज्य धरेलु उत्पाद (₹ करोड़ में)	96,972	99,364	1,17,978 ^P	1,39,515 ^Q	1,60,188 ^A
सकल राज्य धरेलु उत्पाद का विकास दर (प्रतिशत में)	20.83	2.47	18.73	18.25	14.82

(स्रोत : सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे) ए- (एडवांस), क्यू (क्विक); पी (प्राविजनल)

*अंतर्राज्यीय समासोधन भी शामिल है

कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, अंतर्राज्यीय समासोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2008-09 के ₹ 17,226 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 33,779 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में

₹ 5,822 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 4,344 करोड़ (19 प्रतिशत), पूंजीगत व्यय में ₹ 863 करोड़ (21 प्रतिशत), अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम में ₹ 615 करोड़ (48 प्रतिशत) की वृद्धि था। वर्ष 2008-13 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति का रहा जो नौ प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच था। कुल व्यय की विकास दर जो 2011-12 में 22 प्रतिशत से सीमांत घटोत्तरी के साथ वर्ष 2012-13 में 21 प्रतिशत हो गया। 2012-13 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 21 प्रतिशत रहा।

1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखते हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसी के परिणाम से राज्य की बुनियादि सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं करता है। कुल व्यय का राजस्व व्यय प्रतिशत के रूप में वर्ष 2008-09 में 80 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 85 प्रतिशत हो गया और इसके बाद 2012-13 के दौरान कम होकर 80 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 17 प्रतिशत रहा।

2012-13 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 26,972 करोड़ था जिसके ₹ 14,532 करोड़ (54 प्रतिशत) आयोजनेतर घटक पर एवं ₹ 12,440 करोड़ (46 प्रतिशत) आयोजना घटक पर व्यय हुआ।

1.6.2.1 आयोजनागत राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय का हिस्सा, कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2008-09 में 39 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 46 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 के सापेक्ष में 2012-13 के दौरान आयोजनागत राजस्व व्यय में 24 प्रतिशत (₹ 2436 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 704 करोड़), कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप (₹ 682 करोड़) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 499 करोड़), जल आपूर्ति स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 254 करोड़), ग्रामिण विकास (₹ 163 करोड़) एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 148 करोड़) के कारण हुई।

1.6.2.2 आयोजनतर राजस्व व्यय

आयोजनेतर राजस्व व्यय का हिस्सा, कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2008-09 में 61 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 54 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष कि तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 1,908 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः पैशन और विविध सामान्य सेवाएं (₹ 534 करोड़) कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाकलाप (₹ 331 करोड़), यातायात (₹ 231 करोड़), प्रशासनिक सेवाएं (₹ 229 करोड़), ग्रामिण विकास (₹ 212 करोड़), के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई। आयोजनेतर व्यय (₹ 14,532 करोड़) बजट अनुमान (₹ 15,631 करोड़), के समान्य प्रक्षेपण से सात प्रतिशत (₹ 1,099 करोड़), कम था। यद्यपि कुल राजस्व व्यय में एन.पी

आर.ई का हिस्सा 2008-09 के 56 प्रतिशत से घटकर कर 2012-13 में 54 प्रतिशत रह गया।


1.6.2.3 पूंजीगत व्यय

विगत वर्ष के तुलना में पूंजीगत व्यय में 21 प्रतिशत (₹ 863 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सड़क एवं पुल (₹ 601 करोड़) एवं लघु सिंचाई (₹ 966 करोड़) के तहत पूंजीगत व्यय के वृद्धि तथा उर्जा (₹ 196 करोड़) के कमी के समायोजन के फलस्वरूप हुआ।

पूंजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत था।

1.6.2.4 गतिविधियों के द्वारा व्यय में प्रवृत्ति

गतिविधियों की दृष्टि से कुल व्यय (ब्याज भुगतान सहित) सामान्य, सेवाओं पर व्यय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ, सहायता अनुदान एवं ऋणों एवं अग्रिमों के व्यय से संगठित मान्य किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा चार्ट 1.8 में दिया गया है।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों का वित लेखे)

वर्ष 2008-13 के दौरान गतिविधियों के अनुसार व्यय इसी के संघटन में आंतरिक अंतर को दर्शाता है। व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का सामान्य सेवाओं पर 20.06 से 23.17 के मध्य, सामाजिक सेवाओं की सीमा 36.73 से 42.21 के मध्य, आर्थिक सेवाओं की सीमा 30.08 से 35.10 के मध्य रहा। हालांकि, वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाएँ क्रमशः 21.27 से घटकर 20.06 और 41.01 से घटकर 36.73 प्रतिशत हो गया, जबकि आर्थिक सेवा पर यह 30.71 से बढ़कर 35.10 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2008-13 के दौरान सहायता अनुदान का हिस्सा एवं ऋण एवं अग्रिम के हिस्से में विचलन की प्रवृत्ति देखी गई। जबकि वर्ष 2008-13 के दौरान सहायता अनुदान 2.24 से 3.09 प्रतिशत के बीच रहा, ऋण एवं अग्रिमों क्रमशः 2.48 से 5.59 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि 2012-13 के दौरान कुल व्यय में सहायता अनुदान का हिस्सा 2.47 से बढ़कर 2.53 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम 4.54 से बढ़कर 5.59 प्रतिशत हो गया।

1.6.3 वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय

राज्य शासन के राजस्व व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित हैं वर्ष 2008-13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियां तालिका 1.16 एवं चार्ट 1.9 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.16 - वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)


घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	3,670.34 (23.43)	5,646.29 (31.10)	6,362.92 (28.01)	7,382.61 ¹⁰ (28.54)	9,591.18	7,686.52
आयोजनेतर शीर्ष	2,772.46	4,016.30	4,338.28	4,893.18	एन.ए	5,018.01
आयोजना शीर्ष	897.88	1,629.99	2,024.64	2,489.43	एन.ए	2,668.51
अनुदान सहायता के माध्यम से वेतन	115.60 (0.74)	133.71 (0.74)	708.33 (3.12)	897.27 (3.47)	एन.ए	1,280.34
ब्याज भुगतान	1,077.53 ¹¹ (6.88)	1,094.86 (6.03)	1,198.38 (5.27)	1,193.20 (4.61)	1,342.54	1,153.49
पेंशन पर व्यय	930.77 (5.94)	1,233.76 (6.80)	1,810.33 (7.97)	1,877.87 (7.26)	2,185.00	2,412.14
सब्सिडी	1,314.68 (8.39)	1,994.30 (10.99)	1,763.83 (7.76)	1,870.93 (7.23)	1,651.00	1,790.83
कुल व्यय	7,108.92	10,102.92	11,843.79	13,221.88		14,323.32

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों का वित्त लेखें)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं

एन.ए. उपलब्ध नहीं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अर्थान शीर्ष में वेतन एवं मजदूरी भुगतान शामिल हैं।

¹⁰ इस में ₹ 7,176.85 करोड़ वेतन तथा ₹ 509.67 करोड़ मजदूरी शामिल हैं।



वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर कुल व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 13,222 करोड़ से ₹ 1,101 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 14,323 करोड़ हो गया और जो राजस्व व्यय (₹ 26,972 करोड़) का 53 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 29,578 करोड़) का 48 प्रतिशत था। घटक वार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है:

(1) वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 7,383 करोड़ से ₹ 304 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 7,687 करोड़ हो गया एवं सहायता अनुदान¹¹ से वेतन भुगतान वर्ष 2011-12 में ₹ 897 करोड़ से ₹ 383 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,280 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य शासन के बजट अनुमान (₹ 9,591.18 करोड़) में किए गये आंकलन से 20 प्रतिशत (₹ 1,905 करोड़) कम हुआ।

वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 7,081 करोड़) एफ आर बी एम अधिनियम में प्रकट किए प्रावधान (₹ 6,460 करोड़) से 10 प्रतिशत (₹ 621 करोड़) अधिक हुआ।

वर्ष 2012-13 में गैर योजना वेतन (₹ 4,885 करोड़) 13 वें वित्त आयोग (₹ 4,199 करोड़) के द्वारा किए गये प्रावधान से 16 प्रतिशत (₹ 686 करोड़) बढ़ गया।

(2) पेंशन का व्यय

वर्ष 2012-13 में पेंशन पर व्यय ₹ 1,878 करोड़ से 28 प्रतिशत (₹ 534 करोड़) से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,412 करोड़ हो गया। वृद्धि मुख्यतः राज्य में पेंशनर की संख्या में वृद्धि के कारण हुई। पेंशनरों के संख्या का विवरण जो पेंशन आहरण

¹¹ शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अन्तर्गत विभिन्न संरथाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

कोषालय/बैंक /विभागीय प्राधिकार से किया जा रहा है जिसे राज्य शासन ने बताया है नीचे दी गई है।

तालिका 1.17 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान पेंशनरों का विवरण

	31 मार्च 2012 के स्थिति में कुल पेंशनरों का संख्या (2011-12)	31 मार्च 2012 के स्थिति में कुल पेंशनरों का संख्या (2012-13)	पेंशनरों के संख्या में वृद्धि (प्रतिशत में)
अधिवासिकी पेंशन	45145	48,919	3,774 (08 प्रतिशत)
परिवार पेंशनर	25512	28,974	3,462 (14 प्रतिशत)
भूतपूर्व विधायकों	135	229	94 (70 प्रतिशत)
उच्च न्यायालय न्यायधीश	08	18	10 (125 प्रतिशत)
योग	70800	78,140	7,340 (10 प्रतिशत)

- पेंशन पर व्यय (₹ 2,412.14 करोड़), कुल राजस्व व्यय (₹ 26,997.84 करोड़) का नौ प्रतिशत था तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 14,531.82 करोड़) का 17 प्रतिशत था तथा इसपर कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 29,578.09 करोड़) का सात प्रतिशत व्यय हुआ।
- वर्ष 2012-13 के लिए पेंशन भुगतान पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट प्राक्कलनों में प्रक्षेपित (₹ 2,185 करोड़) से 10 प्रतिशत (₹ 227 करोड़) अधिक हुआ।
- वर्ष 2012-13 के अंत में तेरहवें वित्त आयोग में किए गये प्राक्कलनों में प्रक्षेपित पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,191 करोड़ होना था हालांकि 2012-13 के दौरान पेंशन पर वार्तविक भुगतान ₹ 2,412 करोड़ था जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गये प्राक्कलन से ₹ 1,221 करोड़ अधिक था।

(3) ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान में आंतरिक ऋणों पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, भारत सरकार से लिये गये कर्जे तथा अन्य देयतायें शामिल हैं यह 2011-12 के ₹ 1,193.20 करोड़ से तीन प्रतिशत (₹ 39.71 करोड़) घटकर 2012-13 में ₹ 1,153.49 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,153 करोड़) राज्य शासन द्वारा अपने बचत प्राक्कलनों में तथा एफ आर बी एम प्रावधानों में किए गये प्राक्कलन (₹ 1,342 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गये प्रक्षेपण (₹ 2,126 करोड़) की सीमा के अन्दर था। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियाँ की क्रमशः ₹ 4.28 प्रतिशत तथा 3.90 प्रतिशत के अनुपात के रूप में था।

(4) आर्थिक सहायता पर व्यय

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित क्षेत्र को सब्सिडी/ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना असाधरण नहीं है। सब्सिडी सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को सब्सिडाईज सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराकर वितरण किया जाता है। शासन द्वारा वित्तीय संस्थाओं को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त वापसी एवं

समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली, निहित सब्सिडी के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए सब्सिडी का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18 -2008-13 के दौरान शासन द्वारा दी गयी सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	946.28	1,288.78	886.73	950.51	722.30
पशुपालन	41.23	41.00	40.07	46.36	75.45
मत्त्य पालन	0.41	0.47	0.75	0.60	1.30
वानिकी एवं चन्य जीवन	10.09	10.00	10.00	8.10	15.05
खाद्य भण्डारण एवं भंडारणार	109.47	406.61	488.65	383.67	395.24
सहकारिता	40.03	46.00	83.07	95.32	103.14
लघु सिचाइ	10.49	10.62	11.01	10.88	0
उर्जा	128.04	150.10	202.10	321.10	426.13
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	24.27	39.26	37.71	52.52	44.27
उद्योग	4.37	1.46	3.72	1.87	7.95
योग	1,314.68	1,994.30	1,763.81	1,870.93	1,790.83

(रक्रोड़:- संबंधित वर्षों के बित्त लेखे)

तालिका 1.18 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 में आर्थिक सहायता पर व्यय ₹ 1,871 करोड़ से ₹ 80 करोड़ घटकर वर्ष 2012-13 में वर्ष ₹ 1,791 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का छःप्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का सात प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता का भुगतान मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 722 करोड़), उर्जा (₹ 426 करोड़) एवं खाद्य भंडारण तथा संग्रहण (₹ 395 करोड़) था।

(5) अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता

वर्ष 2012-13 के दौरान फ्रीबिज की लागत की अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता (वित्त लेखे के विवरण-8 में दर्शाया गया है) वस्तु के रूप में सहायता अनुदान प्रदान किया गया। 2012-13 के दौरान फ्रीबिज उपलब्ध कराये गए का विवरण तालिका 1.19 में दिखाया गया है।

तालिका-1.19:वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया अप्रत्यक्ष संबिंदी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
ऊर्जा	5 एच.पी.के कृषि पर्म्यों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	249.90
ऊर्जा	सोलर लैम्प का निःशुल्क प्रदाय	27.00
स्कूल शिक्षा	छात्रों को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	52.05
स्कूल शिक्षा	आदिम जाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	9.00
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	1.50
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्रों को निःशुल्क सायकल प्रदाय	44.93
स्कूल शिक्षा	प्राथमिक शालाओं की छात्रों को निःशुल्क सायकल प्रदाय	0.19
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	56.41
संचार	विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रावधान	50.00
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	गरीब परिवारों को दो किलोग्राम निःशुल्क नमक प्रदाय योजना	43.34
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	वर्ष से अधिक के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वृद्धावस्था पैशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, निःशुल्क 10 किलोग्राम चावल प्रदाय	0.14
	योग	534.46

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

तालिका 1.19 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान शासन द्वारा निःशुल्क पुस्तक स्कूल गणवेश सायकल, लैपटाप, एवं टैबलेट, विद्युत, कृषि पर्म्य, सोलर लैम्प, चावल एवं नमक लक्षित हितग्राहियों को दिये जाने के लिए ₹ 534 करोड़ का व्यय किया।

1.6.4 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं¹² को अनुदानों तथा ऋणों के स्वरूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि तालिका 1.20 में दिखाया गया है।

¹² शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा/कृषि सहकारीता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

तालिका-1.20: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
शैक्षणिक संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूलों सहायता प्राप्त महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों आदि)	83.82	83.90	144.82	163.07	223.27
बिजली/ऊर्जा	118.00	65.05	101.05	149.56	672.81
कृषि	19.78	26.50	37.50	56.50	71.00
नगरीय निकाय	737.26	577.71	905.50	1,268.53	2,055.21
पंचायती राज संस्थाएं	1,299.47	1,520.71	1,835.92	2,811.71	3,897.95
अन्य संस्थाएं	304.72	478.25	376.43	158.21	123.61
योग	2,563.05	2,752.12	3,401.22	4,607.58	7,043.85
राजरव व्यय (आर.ई.)	13,794	17,265	19,355	22,628	26,972
राजरव व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	18.58	15.94	17.57	20.36	26.12

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

तालिका 1.20 से यह देखा जा सकता है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता वर्ष 2008-09 में ₹ 2,563 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 7,044 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता ₹ 4,608 करोड़ था, जिसे वर्ष 2012-13 के दौरान 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कि गई। वर्ष 2012-13 के दौरान शासन द्वारा प्रमुख वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (55 प्रतिशत) एवं शहरी निकायों को (29 प्रतिशत) प्रदान की गई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत ढाचे की उपलब्धता सामान्य रूप से उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पहलू शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जन सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान हों), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा प्रभावशीलता (चुनी हुई सेवाओं के लिए लागत परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय जो मुख्य रूप से राज्य के विषय है, जिनका दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता दी जाती है (समग्र व्यय से श्रैणी व्यय का अनुपात) यदि यह संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम हो। तालिका-1.21, 2012-13 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के लिए व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका-1.21: वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता *	एई/ जीएस डीपी	डीई# /एई	एस एसई / एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य /एई	(प्रतिशत में)
औसत (अनुपात) 2009-10							
सामान्य श्रेणी राज्य	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24	
	छत्तीसगढ़	21.04	76.52	42.44	13.13	16.04	3.78
औसत (अनुपात) 2012-13							
सामान्य श्रेणी राज्य	15.93	65.79	32.37	13.23	17.23	4.47	
	छत्तीसगढ़	21.09	77.40	37.69	14.56	16.76	3.83

एई: एप्रीलेट एक्सपैडीचर (कुल व्यय) डीई: डेवलपमेंट एक्सपैडीचर (विकास व्यय) एसएसई: सोशल सेक्टर एक्सपैडीचर (सामाजिक क्षेत्र व्यय) सीई: कैपिटल एक्सपैडीचर (पूँजीगत व्यय)

विकास व्यय के अंतर्गत राजस्व विकास व्यय, पूँजीगत विकास व्यय एवं वितरित ऋण एवं अग्रिम एवं सामाजिक सेवाओं से संबंधित व्यय शामिल है।

तालिका 1.21 का विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि :

- वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्षों में कुल व्यय पर सामान्य श्रेणी राज्यों का क्रमशः 17.06 एवं 15.93 प्रतिशत की तुलना में राज्य अपनी सकल राज्य घरेलु उत्पाद का क्रमशः 21.04 एवं 21.09 प्रतिशत खर्च कर रही है।
- वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत क्रमशः 66.05 एवं 65.79 की तुलना में राज्य में कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकास व्यय क्रमशः 76.52 एवं 77.40 था।
- वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान राज्य में कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय जो क्रमशः 42.44 एवं 37.69 प्रतिशत था, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के प्रतिशत क्रमशः 35.73 एवं 32.37 से अधिक था।
- वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के राज्यों के प्रतिशत क्रमशः 16.19 एवं 17.23 की तुलना में राज्य शासन ने कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा पर 16.04 एवं 16.76 प्रतिशत व्यय किया। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान कुल व्यय कि औसत के रूप में स्वास्थ्य पर व्यय क्रमशः 3.78 एवं 3.83 था जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत क्रमशः 4.24 एवं 4.47 से कम था। यह दर्शाता है कि शासन ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अपर्याप्त प्राथमिकता प्राप्त किया है।
- यद्यपि 2009-10 के दौरान कुल व्यय कि औसत के रूप में पूँजी पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था, लेकिन 2012-13 के दौरान 13.23 प्रतिशत से बढ़कर 14.56 प्रतिशत हो गया।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं लोक केन्द्रक एवं महत्व की वस्तुओं¹³ के लिए प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय¹⁴ के आवंटन में सुधार के अलावा, खासकर, अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग की कुशलता, कुल व्यय और/अथवा जीएसडीपी से पूँजीगत व्यय के अनुपात से परिलक्षित होता है एवं राजस्व व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जाता रहा। कुल व्यय (और/या जीएसडीपी) से इन घटकों का जितना ऊँचा अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी। **तालिका-1.22** विगत वर्षों के बजट में किये गये विकास के व्यय के संदर्भ में इस वर्ष के दौरान राज्य के सकल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका-1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
विकास व्यय	12,995 (75)	16,002 (77)	16,857 (73)	21,310 (76)	26,144 (77)
विकास व्यय के घटक					
अ. विकास राजस्व व्यय	9,676 (56)	12,447 (60)	13,401 (59)	16,037 (57)	19,468 (58)
ब. पूँजीगत विकास व्यय	2,838 (16)	2,668 (13)	2,899 (13)	4,014 (15)	4,794 (14)
स. विकास ऋण एवं अग्रिम	481 (03)	887 (04)	557 (02)	1,259 (05)	1,882 (06)
कुल व्यय	17,226	20,910	22,876	27,957	33,779

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे) कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 में विकास व्यय जो सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के लिये राजस्व एवं पुंजीगत व्यय ऋण एवं अग्रिमों को

¹³

मुख्य जन सामग्री, सभी नागरिक जिसका रार्वजनिक उपयोग करते हैं इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपभोग से अन्य किसी व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है- उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सङ्कर अद्योसरवना इत्यादि। उच्चुणवता सामग्री उपयोगी वस्तु है जिसे रार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सरकार दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्भावना एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के बिचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सरकार या गुप्त भोजन का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना एवं रुप्तता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्रेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

¹⁴

व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूँजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवायें, आर्थिक सेवायें एवं सामान्य सेवायें की श्रेणियों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवायें पर व्यय गैर: विकास व्यय के स्पष्ट से व्यवहार किया जाता है।

मिलाकर है वर्ष 2008-09 में ₹ 12,995 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 26,144 करोड़ हो गया। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय निरंतर वृद्धि दर्शाता है तथा यह 75 से 77 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2010-11 में राजस्व विकास व्यय तथा विकास ऋण एवं अग्रिमों में कमी के कारण कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय घटकर 73 प्रतिशत हो गया था। 2012-13 के दौरान गतवर्ष की तुलना में कुल विकास व्यय ₹ 4,834 करोड़ (23 प्रतिशत) बढ़ा जो मुख्यतः राजस्व विकास व्यय में ₹ 3,431 करोड़ (21 प्रतिशत), पूँजीगत विकास व्यय ₹ 780 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 623 करोड़ (49 प्रतिशत) के कारण हुआ। जबकि राज्य के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व विकास व्यय वर्ष 2011-12 के 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान 58 प्रतिशत हो गया, विकास ऋणों एवं अग्रिमों 2011-12 से 2012-13 में पाँच प्रतिशत से बढ़कर छः प्रतिशत हो गया। परन्तु, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय पर विकास व्यय 2011-12 के 15 से घटकर 2012-13 में 14 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये व्यय की कार्य कुशलता
(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2011-12			2012-13		
	सीई से टीई का अनुपात	राजस्व व्यय का अंश		सीई से टीई का अनुपात अनुरक्षण	राजस्व व्यय का अंश	
		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवायें (एस एस)						
योग सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.54	1.90	38.24	2.81	1.69	34.82
सामान्य शिक्षा	0.52	2.08	41.32	0.51	1.70	36.71
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.53	0.64	57.18	0.51	0.66	62.42
जल आपूर्ति, सफाई एवं आवास एवं शहरी विकास	1.73	2.97	27.73	1.23	2.88	9.85
आर्थिक सेवायें (इ एस)						
योग (आर्थिक सेवाएं जिनमें)	10.82	5.49	27.43	11.38	5.46	21.00
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	0.33	1.41	39.35	0.25	1.22	29.18
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.37	6.97	74.29	4.90	6.70	73.39

(स्रोत : वित्त लेखे)

टीई: टोटल एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (कुल व्यय); सीई: केपिटल एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (पूँजीगत व्यय);
आई: रेवेन्यू एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (राजस्व व्यय); एस एण्ड डब्लू सेलेरीज एण्ड वेजेस (वेतन एवं मजदूरी) एम.ई.
मैन्टेनेंस एक्सपेंडीचर (अनुरक्षण एवं प्रचालन व्यय)

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 से यह देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 2011-12 में ₹ 988.69 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 950.63 करोड़ हो गया। जिसके कारण सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अंश कुल व्यय में 2011-12 में 3.54 प्रतिशत से घटकर 2.81 प्रतिशत रह गया। (**परिशिष्ट 1.3**)

जबकि सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय के अंश 38.24 प्रतिशत से घटकर 34.82 प्रतिशत रहा, अनुरक्षण व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान 1.90 से घटकर 1.69 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 से यह देखा जा सकता है कि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 2011-12 के ₹ 3,025.20 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,843.34 करोड़ हो गया, जिसके कारण आर्थिक सेवाओं के कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश से 2011-12 के 10.82 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 11.38 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के संबंध में शासन द्वारा प्राथमिक क्षेत्र सङ्करण एवं पूल पर पूँजीगत परिव्यय (33 प्रतिशत), लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (33 प्रतिशत) एवं उर्जा पर पूँजीगत परिव्यय (18 प्रतिशत) द्वारा जाना जाता है। (**परिशिष्ट 1.3**)

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय एवं आर्थिक के अधीन वेतन एवं अनुरक्षण व्यय अंश क्रमशः 27.43 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत एवं 5.49 प्रतिशत से बढ़कर 5.46 प्रतिशत हो गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम न केवल की वर्तमान रूपरेखा में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राजकोषीय घाटा (एवं उधारियों) को निम्न स्तर पर रखें बल्कि पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए, राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार सब्सिडी के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिये एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का यह अनुभाग विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2013 तक, अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में विभागवार सूचना तालिका 1.24 में दी गई है।

तालिका-1.24 : विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत पुनरिक्षण के पश्चात अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2013 तक की संचयी व्यय
निर्माण कार्य	40	996.33	1,136.78	710.71
जल संसाधन	105	7,265.76	8,490.67	2,399.18
योग	145	8,262.09	9,612.25	3,109.89

(स्रोत: वित्तीय लेखा 2012-13)

अपूर्ण परियोजनाएं पर निधि का अवरुद्ध नकरात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सभी 145 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 8,262 करोड़) 31 मार्च 2013 तक पुरा करने के लिये बकाया है, लेकिन ₹ 3,110 करोड़ के अवरुद्ध के परिणाम स्वरूप अधुरा रहा परियोजना निर्माण को पुरा होने में देरी लागत वृद्धि के जोखिम को आमत्रित करता है, इसके अलावा परियोजनाओं के पुरा होने में देरी का कारण परियोजनाओं से उद्देश्य लागु प्राप्त नहीं किया गया जा सका। इस प्रकार लागत सिमा से बचने के लिए निर्माण को समय में पुरा करने कि जरूरत है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2013 की स्थिति में, शासन ने ₹ 1,916.18 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी (स्टाक) कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में निवेश किये गये थे (तालिका-1.25)। 2012-13 के इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 0.11 प्रतिशत था जबकि शासन ने ली गई उधारियों पर 6.34 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज भुगतान किया। निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य है। उधार ली गई निधियों का लगातार निवेश से उचित प्रतिफल प्राप्त न होने से असंतुलित वित्तीय स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च लागत निधियों में निवेश के लिए शासन को उचित उपाय सुनिश्चित करना चाहिए।

तालिका-1.25: निवेश का प्रतिफल

निवेश/प्रतिलाम/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)*	430.01	251.67	259.92	1,194.38	1,916.18
निवेश का प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.10	0.44	4.30	0.46	2.19
निवेश का प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.17	1.65	0.04	0.11
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.36	7.13	7.34	7.08	6.34
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.34	6.96	5.69	7.04	6.23

* वर्ष के अंत में निवेश में, निवेश का अविभाजित अंश शामिल नहीं है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यह पाया गया कि 2012-13 तक निवेशित ₹ 1,916.18 करोड़ में से ₹ 1,690.60 करोड़ कम्पनियों/मंडलो विभागों में, ₹ 169.77 करोड़ सहकारी बैंकों/संस्थाओं में, ₹28.90 करोड़ सांबंधिक निगमों में, ₹ 24.31 करोड़ ग्रामीण बैंकों एवं ₹ 2.60 करोड़ संयुक्त पूँजी (स्टाक) कम्पनियों में निवेश किया गया।

2012-13 के दौरान शासन ने मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (₹ 250 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन कंपनी (₹ 454 करोड़) के पूँजी अंश में निवेश किया।

1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, शासन इनमें से बहुत सी संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। **तालिका-1.26**, 31 मार्च 2013 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका-1.26: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

ऋणों की तादाद/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	1,529.89	1,535.64	1,517.88 ¹⁵
वर्ष के दौरान दी गई राशि	566.55	1,268.74	1,888.79
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	561.16	1,282.53	1,542.01
अंतर्शेष	1,535.28	1,521.85	1,864.66
जिनमें बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई हैं।	1,523.68	1,094.48	1,864.66
निवल वृद्धि	(+)5.39	(-)13.79	342.78
ब्याज प्राप्तियाँ	79.86	62.79	8.27
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत	5.21	4.11	0.44
राज्य शासन के बकाया राजकीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.34	7.08	6.34
राज्य शासन द्वारा उधारों पर चुकाई गई ब्याज एवं ब्याज प्राप्ति भिन्नता (प्रतिशत में)	(-)2.13	(-)2.97	(-) 5.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2013 की स्थिति में शासन के बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 1,864.66 करोड़ थे जिसमें से ₹ 153.11 करोड़, ₹ 1,118.85 करोड़, ₹ 602.48 करोड़ क्रमशः सामान्य सेवाओं के लिए ऋण, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण था। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का समायोजन सरकारी कर्मचारियों से ₹ 9.78 करोड़ ऋण की वसूली के द्वारा किया गया। इन ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत गत वर्ष के 4.11 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान केवल 0.44 प्रतिशत था।

¹⁵ वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष बदल गया।

1.8.4 नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश

तालिका - 1.27 नगदी शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा नगदी शेष में से किये निवेश को चित्रित करती है।

तालिका-1.27: नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

सामान्य नगदी शेष	31 मार्च 2012 की स्थिति में	31 मार्च 2013 की स्थिति में
(1) कोषालय में रोकड़	0	0
(2) रिजर्व बैंक में जमा	94.42	(-) 1,767.11
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0	0
कुल (1+2+3)	94.42	(-) 1,767.11
(4) रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	1,645.92	2,619.56
योग (क) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	1740.34	852.45
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के रौनिक सचिव आदि के पास रोकड़	11.32	116.56
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियाँ	0.30	0.31
(3) पृथक उद्घृष्ट निधियों का निवेश	948.90	1,147.62
कुल अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	960.52	1,264.49
कुल (अ) तथा (ब)	2,700.86	2,116.94

(स्रोत- वित्त लेखे 2012-13)

राज्य का वर्ष के अंत में नगदी शेष ₹ 2,117 करोड़ रहा, जो विगत वर्ष के तुलना में 22 प्रतिशत कम है। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,500 करोड़ के बाजार ऋण लेने के कारण मुख्यतः अधिक नगदी शेष रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले न्यूनतम आवश्यकता नगदी शेष ₹ 0.72 करोड़ से ज्यादा नगदी शेष शासन ने बनाये रखा। बारी-बारी से नगदी शेष अधिक्य को राज्य शासन द्वारा कोषालय बिलों की अल्पावधि जमा में निवेश किया एवं वर्ष 2012-13 के दौरान सकल ब्याज ₹ 134.56 करोड़ आर्जित किया जो कि विगत वर्ष की तुलना में ₹ 18.61 करोड़ कम है।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों का विकास तथा संरचना


प्रचलित सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार

के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2012, की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.4** प्रस्तुत करता है जबकि **परिशिष्ट 1.4(भाग-ब)** के दायित्वों में, मुख्य रूप से आंतरिक उधारियाँ, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों, में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नगदी शेष सम्मिलित हैं।

दायित्वों का विकास दर वर्ष 2011-12 के 3.26 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 12.80 प्रतिशत हो गया एवं परिसम्पत्तियों का विकास दर 15.56 प्रतिशत से बढ़कर 16.92 प्रतिशत इसी अवधि के दौरान हो गया।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.4** में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.10 एवं 1.11** में प्रस्तुत है।



दायित्व दो प्रकार के हैं - लोक ऋण एवं अन्य दायित्व/लोक ऋण में राज्य के आंतरिक ऋण का समावेश रहता है एवं समेकित निधि के अधीन पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रतिवेदित की जाती है। इसमें बाजार ऋण, आर.बी.आई. के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों एवं भारत सरकार से लिए गये ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारत की सीमा के भीतर, समेकित निधि की प्रतिभूति के आधार पर उस सीमा तक जितना की समय समय पर विधान मंडल द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित किया गया हो एवं उस सीमा तक जितना निर्धारित किया गया हो गारंटी दे सकता है। अन्य दायित्व अथवा राजकोषीय दायित्व जो लोक लेखे का हिस्सा हैं एवं जिसमें अल्प बचत योजना, भविष्य निधियाँ एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

विगत वर्ष के तुलना में जबकि अंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व 49 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हुआ, लोक लेखा दायित्व राजकोषीय दायित्व 38 प्रतिशत से बढ़कर

39 प्रतिशत हुआ। परन्तु, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम 2011-12 के 13 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 11 प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व उनकी विकास दर, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलु उत्पाद से अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियों को तालिका 1.28 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.28 राजकोषीय देयतायें आधारभूत मानक

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 ¹⁶	2012-13
राजकोषीय देयतायें	14,780	15,933	16,581	17,103	19,268
राजकोषीय देयतायें का विकास दर (प्रतिशत में)	1.85	7.79	4.06	3.15	12.66
राजकोषीय देयतायें / जी.एस.डी.पी. (कर्ज - जी.एस.डी.पी. अनुपात) (प्रतिशत में)	15.24	16.03	14.05	12.26	12.03
राजकोषीय देयतायें / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	94.36	87.77	72.98	66.11	65.14
सकल राज्य घरेलु उत्पाद ([₹] करोड़ में)	96,972.18	99,364.26	1,17,978.30 ^P	1,39,514.95 ^Q	1,60,187.71 ^A

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के कुल राजकोषीय दायित्व का 30 प्रतिशत ([₹] 4,488 करोड़) का बृद्धि हुई है जो 2008-09 में [₹] 14,780 करोड़ ये बढ़कर 2012-13 में [₹] 19,268 करोड़ हो गया। दायित्वों की विकास दर 2011-12 के 3.15 प्रतिशत के विरुद्ध 2012-13 के दौरान 12.66 प्रतिशत हो गया।

राजकोषीय दायित्व 2012-13 के अंत में 2011-12 के 66.11 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 65.14 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया। 2012-13 के दौरान सकल राज्य घरेलु उत्पाद से ऋण का अनुपात 12.03 प्रतिशत था जो एफ.आर.बी.एम. प्रकटीकरण में किये गये प्रक्षेपण (14.72 प्रतिशत) से कम रहा।

1.9.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में क्षेत्र 'त्र' के अन्तर्गत आरक्षित एवं आरक्षित निधियां विशिष्ट एवं अच्छे उद्देश्य के लिये खोले गये हैं। आगे निधियां इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है (क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां तथा (ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां वित्त लेखे के विवरण 19 के अनुसार राज्य शासन ने लेखे में 14 आरक्षित निधियां खोले गये एवं संधारण किए जाते हैं। इन में ग्रामीण विकास निधि जिसका संचित शेष 31 मार्च 2013 को [₹] 97.70 करोड़¹⁷ था, अप्रयुक्त रहा। ग्रामीण विकास

¹⁶ जी.एस.डी.पी. ऑकड़े में बदलाव एवं वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण 2011-12 के ऑकड़े बदल गये।

¹⁷ वर्षवार ग्रामीण विकास निधि प्राप्तियों 2001-02 = [₹] 2.25 करोड़, 2002-03 = [₹] 2.50 करोड़,

2003-04 = [₹] 0.41 करोड़, 2004-05 = [₹] 4.11 करोड़, 2005-06 = [₹] 5.09 करोड़, 2006-07 = [₹] 6.91 करोड़,

2007-08 = [₹] 27.59 करोड़, 2008-09 = [₹] 11.60 करोड़, 2009-10 करोड़, (-) [₹] 7.54 करोड़, 2010-11 =

[₹] 12.00, 2011-12 = [₹] 15.00 करोड़, 2012-13 = [₹] 17.78 करोड़,

निधि वर्ष 2001-02 में बनाया गया था। शासन प्रतिवर्ष इसे निधि में कुछ राशि हस्तातरीत करती है। लेकिन इसके खोले जाने के पश्चात अभी तक कोई व्यय नहीं की गई है। शेष 13 निधियां जिनका शेष राशि ₹ 2,327.63 करोड़ था, संचालन में है।

राज्य आपदा राहत निधि एवं निक्षेप निधि (Sinking Fund) के लेन-देनों के विश्लेषण का विवरण निचे दिया गया है।

राज्य आपदा राहत निधि

राज्य आपदा राहत निधि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बनाया गया है, जो ब्याज सहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से संचालित है। राज्य आपदा राहत निधि के निर्देशानुसार राज्य आपदा राहत निधि के अभिवृद्धि राज्य आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निवेश पर आय के साथ एक या ज्यादा प्रपत्र जैसे केन्द्र सरकार दिनांकित ट्रेजरी बिल, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यक बैंकों जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है। इसका अलावा, राज्य सरकार अधिविकर्ष (overdraft) पर लागु ब्याज दरों के समान ब्याज राज्य आपदा राहत निधि में जमा करेगा। इस निधि के अंतर्गत किया जाने वाली कुल अंशदान का 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा आहरण किया जायेगा, तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जावेगा। इसके अलावा, 31 मार्च 2010 की स्थिति में आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund) का शेष राशि को राज्य आपदा राहत निधि में अंतरण कर्या जाना था तथा आपदा राहत कोष को अस्थित्व में विराम लगाना चाहिये। इसके अनुसार आपदा राहत कोष के अंतर्गत बकाया शेष राशि को 31 मार्च 2010 ता अंतरण किया जाना था, जो वर्ष 2010-11 में किया गया।

वर्ष 2012-13 में निधि में ₹ 162.86 करोड़ (₹ 122.15 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 40.71 करोड़ के राज्यांश) का अंशदान किया गया। वर्ष 2012-13 में राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 71.39 करोड़ का संवितरण किया गया।

निक्षेप निधि

सरकार द्वारा खुले बाजार ऋण के लिये वर्ष 2006-07 में निक्षेप 2011-12 का गठन किया गया है। निधि को वर्ष 2011-12 से बकाया आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा देयताओं का ऋण मोचन हेतु परिशाधन निधि के रूप में उपयोग किया जाना था। वर्ष 2011-12 से इसे निधि का उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 तक ₹ 1,146.94 करोड़ राशि निधि (जमा खाता) में शेष है। 2012-13 के दौरान राज्य शासन के न्यूनतम देय अंशदान ₹ 85.52 करोड़ जो कि वर्ष 2011-12 के अंत में बकाया दायित्वों (₹ 17,103.06 करोड़) का 0.5 प्रतिशत के विरुद्ध ₹ 200 करोड़ का अंशदान किया गया।

1.9.4 गारंटी की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

गारंटियाँ राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है, जो उधार लेने वालों के लिए गारंटी दी गई है, अदायगी में चूक के प्रकरण में उत्पन्न होती है।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों की अधिकतम राशि एवं बकाया गारंटियों जो विगत तीन वर्षों में रही **तालिका-1.29** में दी गई है।

तालिका-1.29: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटीयाँ	2010-11	2011-12	2012-13
गारंटी की अधिकतम राशि	5,053.59	7,079.29	6,605.49
गारंटी की बकाया राशि	2,849.35	2,637.40	2,694.90
राजस्व प्राप्तियाँ	22,720	25,867	29,578
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम गारंटी की राशि का प्रतिशत	22.24	27.37	22.33

(स्रोत - वित्त लेखे)

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधि पारित नहीं किया गया है जिस सीमा तक राज्य की समेकित निधि की जमानत पर सरकार गारंटी दे सकती है। परन्तु, छत्तीसगढ़ राजकोषिय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान नवीन गारंटी हेतु सामान्य शर्तों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अधिकतम 0.5 प्रतिशत, उक्त दोनों में से जो भी कम हो से जो भी कम हो से अधिक की गारंटी नहीं दे सकेगा। राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगमों एवं अन्य के द्वारा उठाये गये ऋणों पर गारंटी दी गई। 2012-13 के अंत में ₹ 2,695 करोड़ थी, जो कि एफ.आर.बी.एम में निर्धारित सीमा के अन्दर है।

गारंटियों में सहकारिता (₹1,755 करोड़), ऊर्जा (₹ 667 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 177 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 93 करोड़) एवं अन्य (₹ चार करोड़) को दी गई राशि 31 मार्च 2013 के स्थिती में बकाया है। आकस्मिक दायित्वों के रूप में गारंटियों की बकाया राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग नौ प्रतिशत थी।

गारंटियों पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को निर्धारित गारंटी फीस के माध्यम से प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना करना चाहिए। तथापि, राज्य शासन ने राज्य में अपेक्षाकृत कम उच्च जोखिम की संख्या को देखते हुये प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान तथापि गारंटी का कोई भुगतान देय नहीं हुआ।

1.9.5 सरकार द्वारा लिये गये उधार का विश्लेषण

वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण का स्थिती **तालिका 1.30** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.30 - वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों की प्रवृत्ति	1 अप्रैल 2012 की शेष	प्राप्तियां	अदायगियां	31 मार्च 2013 की शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-)
बाजार कर्ज	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47
प्रतिकर तथा अन्य बंद पत्र	241.69	0	48.32	193.37	- 48.32
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	591.98	288.80	121.14	759.64	167.66
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिशत	5,362.57	252.23	237.23	5377.57	15.00
केन्द्र सरकार से कर्जों तथा पेशगियाँ	2,289.74	16.70	169.07	2137.37	- 152.37
योग	10,685.56	2,057.73	1,039.29	11,704.00	1,018.44

(स्रोत - वित्त लेखे 2012-13)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 2,057.73 करोड़ का कर्ज लिया गया तथा ₹ 1,039.29 करोड़ इसका भुगतान के रूप में किया गया। बाजार कर्जों का विश्लेषण कंडिका 1.10.2 में किया गया वर्ष 2012-13 के दौरान अन्य कर्जों का विश्लेषण निम्नानुसार है :

वित्तीय संस्थाओं से कर्ज

सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 288.80 करोड़ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक से (₹ 288.40 करोड़) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से (₹ 0.40 करोड़) का कर्ज लिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम से कर्ज में ₹ 167.66 करोड़ का वृद्धि हुई जो वर्ष 2011-12 में ₹ 591.98 करोड़ से बढ़कर 2012-13 ₹ 759.64 करोड़ हुआ।

अल्प बचत निधि से कर्ज

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु बचत निधि वर्ष 1999-2000 में गठित की गई। वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार को ₹ 252.23 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 237.23 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। बकाया अल्पबचत निधि से कर्जों में ₹ 15 करोड़ (0.28 प्रतिशत) का वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 में ₹ 5,362.57 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,377.57 करोड़ हो गया। सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 477.62 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया।

1.10 ऋण प्रबंधन**1.10.1 ऋण धारणीयता**

एक समयावधि में ऋण-जि.एस.डी.पी अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप परिभाषित है। इस तरह, इसके ऋणों को चुकाने की क्षमता को समिलित करता है। राज्य शासन के ऋण की मात्रा से अलग राज्य के ऋण धारणीयता¹⁸ को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

¹⁸

ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जि.एस.डी.पी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में वित्ता को भी समिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध वायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

यह अनुभाग राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण¹⁹ के रूप में ऋण धारणीयता गैर ऋण प्राप्तियों²⁰ की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों²¹ की निबल उपलब्धता; ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा माप) राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा का आकलन करता है। वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण **तालिका-1.31** करता है।

तालिका-1.31: ऋण धारणीयता सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचक/घोषक	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण(प्रमात्रा विस्तार + प्रारंभिक घाटा)	3,324	1,752	41
इंक्रीमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता(संसाधनों का अंतर)	(+) 2,169	(-) 1,211	(-) 1,854
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	(-)438	(-) 672	(+)1,012
ब्याज भुगतान का बोझ (आईपी/राजस्व प्राप्तियां अनुपात)	5.27	4.61	3.90
राजकोषीय देयताओं/सकल राज्य घरेलु उत्पाद	14.05	12.26	12.03

(स्रोत: संविधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.31 में यह प्रवृत्ति दिखायी देती है कि अवधि 2011-13 के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार निरन्तर सकारात्मक रहा था, लगातार गिरावट से राजकोषीय दायित्वों का जी.एस.डी.पी. से अनुपात जो कि वर्ष 2011-12 के 12.26 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 12.03 प्रतिशत रह गया।

अवधि 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों में अभिवृद्धि (संसाधनों का अंतर) की पर्याप्तता नकारात्मक थी जो वित्त प्राथमिक व्यय अभिवृद्धि की तुलना में गैर ऋण प्राप्तियों की अभिवृद्धि को अपर्याप्त दर्शाती थी।

2010-13 के दौरान मूल एवं ब्याज के भुगतान पश्चात् शुद्ध उधार निधियों की उपलब्धता में (-) ₹ 438 करोड़ से बढ़कर (+) ₹ 1,012 करोड़ हुई। 2012-13 के दौरान शासन ने ₹ 5,886 करोड़ (मूल एवं ब्याज आंतरिक ऋण पर ₹ 1,535 करोड़, भारत सरकार ऋण ₹ 349 करोड़ तथा अन्य देनदारियों ₹ 4,002 करोड़ का भी

¹⁹ स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बश्तैं प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तरः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

²⁰ राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

²¹ उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूल धन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाती है।

निवटान) का पुनर्भुतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 6,898 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 2,041 करोड़, भारत सरकार ऋण ₹ 17 करोड़ एवं अन्य देनदारियाँ ₹ 4,840 करोड़) से भी कम थी, परिणामतः उधार निधियों की निवल उपलब्धता ₹ 1,012 करोड़ (कुल उधारों का 15 प्रतीशत) उत्पाद /पूँजीगत परिव्यय हेतु उपलब्ध रहा।

राज्य द्वारा भविष्य में राज्य ऋण पुनर्भुतान की परिपक्वता का पार्श्व दृश्य तालिका 1.32 में दिखाया गया है।

तालिका 1.32 राज्य के ऋण की परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल ऋण का प्रतिशत
0-5	3,728.29	4,224.98	4,182.47	4,252.03	3,914.35	34
6-10	3,022.19	3,333.13	3,351.11	3,115.08	3,204.48	27
11-15	1,951.07	1,987.75	2,039.44	1,958.45	3,312.46	28
16-20	1,282.04	1,150.28	1,164.79	1,012.50	802.49	07
20 और उससे ऊपर	393.16	316.25	378.91	347.50	470.22 ²²	04
योग	10376.75	11,012.39	11,116.72	10,685.56	11,704.00	

(स्रोत -संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अगले पाँच वर्षों में शासन के ऋण परिपक्वता में 34 प्रतीशत की परिशोधन होगी। अतः भविष्य ऋण भुगतान के अच्छे जानकारीयों के साथ शासन इस स्थिति में होगी कि यह सुनिश्चित कर सके कि नया ऋण उन वर्षों में भुगतान नहीं करना पड़े जिस वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया है।

1.10.2 वर्ष 2008-13 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गये बाजार उधार पर समीक्षा

1.10.2.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उधार लेने कि आवश्यकता को दर्शाता है। उधार मुख्यतः सिंचित निधि (ई - लोक ऋण) पर भारित होता है। उधार मुख्यतः राज्य सरकार के आंतरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम में विभाजित होता है। आंतरिक ऋण पुनः बाजार ऋण में विभाजित होता है।

बाजार उधारी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवधित होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकता है। वर्तमान समीक्षा, राज्य सरकार द्वारा 2008-13 के आवधि के दौरान लिये गये बाजार ऋण को आवश्यकता एवं उपयोगिता के आकलन के लिए है।

1.10.2.2 छत्तीसगढ़ के बाजार ऋण की स्थिति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक वर्षवार बाजार ऋण कि स्थिति तालिका 1.33 में दर्शाया गया।

²² छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ₹ 309.24 करोड़ का भुगतान किया गया, जो मध्य प्रदेश को प्रभाजित किया गया। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार से समायोजन किया जाना है।

तालिका -1.33- वर्ष 2008-13 के दौरान लिये गये बाजार ऋण के स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पूनर्मुगातान किए गये बाजार ऋण	अंत शेष	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी(-)	पिछले वर्ष के तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
2008-09	2,451.34	0	153.44	2,297.90	- 153.44	-6.26
2009-10	2,297.90	700.02	250.18	2,747.74	449.84	19.58
2010-11	2,747.74	0	235.02	2,512.72	- 235.02	-8.55
2011-12	2,512.72	0	313.14	2,199.58	- 313.14	-12.46
2012-13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12

(स्रोत : वित्त लेखे)

तालिका 1.33 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के अन्त तक बाजार ऋण के क्रमशः ₹ 700 करोड़ एवं ₹ 1,500 करोड़ लेने के कारण इस अवधि में बकाया शेष ₹ 2,747.74 करोड़ एवं ₹ 3,236.05 करोड़ के रूप में उच्च रहा।

1.10.2.3 ऋण स्थिरता कि स्थिति

वर्ष 2008-13 के अवधि के दौरान राज्य सरकार के ऋण स्थिरता के स्थिति को **तालिका 1.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34 - ऋण स्थिरता कि स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल देयताओं	14,780.03	15932.34	16,581.28	17,103.06	19,268.48
कुल लोक ऋण	10,376.75	11,012.39	11,116.72	10,685.57	11,704.00
कुल बाजार ऋण	2,297.90	2,747.74	2,512.72	2199.58	3,236.05
कुल देयताओं से बाजार ऋण का प्रतिशत	15.55	17.25	15.15	12.86	16.79
कुल लोक ऋण से बाजार ऋण का प्रतिशत	22.14	24.95	22.60	20.58	27.65
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का प्रतिशत	15.24	16.03	14.05	12.26	12.03
बकाया बाजार ऋण पर भारित औसत व्याज दर वित्तीय वर्षवार	7.88	7.63	7.31	7.03	7.75
वर्ष के दौरान बाजार ऋण पर भारित औसत व्याज दर वित्तीय वर्षवार	0.00	8.25	0.00	0.00	8.65
बाजार ऋण पर व्याज भुगतान	196.10	172.61	200.68	178.02	142.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तथा व्याज दर का अनुपात (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि/भारित औसत दर अनुपात)	2.64	0.32	2.52	2.60	1.91
सकल व्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	0.07 (6.88)	0.06 (6.03)	0.05 (5.27)	0.04 (4.61)	0.04 (3.90)
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 51	(-) 664	(+) 1,608	(+) 392	(-) 1502
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 1,869	(+) 888	(+) 3364	(+) 3,239	(+) 2,606
राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 1027	(-) 1759	(+) 410	(-) 801	(-) 2,655
राजस्व प्राप्तियाँ	15,662.76	18,153.66	22,719.54	25867.38	29,578.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशततारै)	96972.18 (20.83)	99364.26 (2.47)	117978.30 ^(P) (18.73)	139514.95 ^(Q) (18.25)	160187.71 ^(A) (14.82)

(विस्तृत विवरण परिक्रेया 1.7 अ से 1.7इ के दर्शाया गया है)

(ए- पूर्व अनुमान, क्यू- क्विक अनुमान, गो- प्रोजेक्शनल अनुमान)

तालिका-1.34 से देखा गया है कि:-

- कुल बकाया देनदारियां तथा सार्वजनिक ऋण के बाजार ऋण का हिस्सेदारी अस्थिर प्रवृत्ति का रहा जो क्रमशः 12.86 तथा 17.25 प्रतिशत तथा 20.58 प्रतिशत तथा 27.65 प्रतिशत के मध्य रहा जो मुख्यतः 2008-09, 2010-11 एवं 2011-12 में बाजार ऋण नहीं लेने के कारण था।
- कुल देनदारियां-सकल राज्य घरेलु उत्पाद, सकल राज्य घरेलु उत्पाद के निम्नवृद्धि दर के कारण 2008-09 के 15.24 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 16.03 प्रतिशत हो गया। यद्यपि 2012-13 के यह अनुपात घटकर 12.03 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के समग्र ऋण स्थिरता में 2008-09 से 2012-13 के अवधि में सुधार हुआ है, चूंकि जैसा कि सकल ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति का अनुपात 2008-09 के 0.07 से लगातार गिरावट के साथ 2012-13 के में 0.04 हो गया।

10.2.4 बाजार ऋण का परिदृश्य

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान लिए गए बाजार ऋण का विवरण **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35 - बाजार ऋण का परिदृश्य

विवरण	लिया गया बाजार ऋण का राशि (₹ करोड़ में)					कुल
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
7 वर्ष से ज्यादा	0	700.00	0	0	1,500.00	2,200.00
वर्ष के दौरान कुल ऋण	0	700.00	0	0	1500.00	2200.00
31 मार्च को कुल बकाया	2,297.90	2,747.74	2,512.72	2,199.58	3,236.05	--
कुल बकाया के एवज में वर्ष के दौरान लिए गए ऋण का प्रतिशत	0	25.48	0	0	46.35	--

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका-1.35 से देखा जा सकता है कि 2009-10 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से 10 वर्ष कि अवधि (सात वर्ष से अधिक) हेतु निलामी द्वारा बाजार ऋण लिया गया। पूर्व भुगतान हेतु उपबंध किये बिना शासन ने 10 वर्ष की नियत परिपक्वता अवधि के लिये बाजार से ऋण लिया जिसके कारण शासन को भविष्य में आसान तरलता की स्थिति में बाजार ऋण की परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान अवसर से वंचित रहा।

1.10.2.5 बाजार ऋण का भारित औसत परिपक्वता

पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष के दौरान बकाया शेष एवं उठाए गए ऋण के भारित औसत परिपक्वता का विश्लेषण **तालिका 1.36** दिखाया गया है।

तालिका 1.36 - बाजार ऋण का भारित औसत परिपक्वता

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी	बकाया बाजार ऋण	भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
			भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)
2008-09	--	4	4	4
2009-10	10	5	5	5
2010-11	--	4	4	4
2011-12	--	4	4	4
2012-13	10	7	7	7

वर्ष 2008-09, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान बाजार ऋण का भारित औसत परिपक्वता बराबर रहा। यद्यपि वर्ष 2009-10 तथा 2012-13 के दौरान ऋण लेने के कारण यह बढ़ गया। वर्ष 2012-13 के अंत में वर्ष 2011-12 के चार वर्ष से बढ़कर सात वर्ष हो गया (परिशिष्ट 1.7-असे 1.7 - ई तक)

1.10.2.6 बाजार ऋण का परिपक्वता प्रवृत्ति

वर्ष 2014-21 के दौरान बाजार ऋण का वर्षावार परिपक्वता प्रवृत्ति तालिका -1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37 -बाजार ऋण का परिपक्वता प्रवृत्ति

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार ऋण का प्रतिशत (₹ 6080.05 करोड़, 31.3.2014 के स्थिति में)
2014-15	394.46 ²³	6.49
2015-16	183.25	3.01
2016-17	302.32	4.97
2017-18	0	0
2018-19	0	0
2019-20	700.00	11.51
2020-21	0	0

तालिका - 1.37 31 मार्च 2014 को बकाया बाजार ऋण (₹ 6,080.05 करोड़²⁴) के तुलना में परिपक्वता राशि तथा परिपक्वता राशि के प्रतिशत आगामी सात वर्षों के दौरान वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक का वर्षावार विवरण दर्शाता है। सरकार वर्ष 2009-10 तथा 2012-13 में प्रत्येक 10 वर्ष का अवधि हेतु बाजार ऋण लिया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा बड़े ऋण चुकाती दायित्वों को जन्म दे सकता है तथा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 के दौरान कोई बाजार ऋण मोचन नहीं होगा।

जहाँ तक बाजार ऋण कम करने हेतु वित्त विभाग द्वारा विश्लेषण करने कम सम्बन्ध में पाया गया कि वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन (एक्जिट कॉन्फ्रेन्स) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस) वित्त विभाग द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा नये परिपक्वता वर्ष में स्थानान्तरण के कारण बाजार ऋण में कमी का अभ्यास नहीं होने से आगे ब्याज देनदारियों में वृद्धि होगा।

1.10.2.7 ब्याज दर प्रोफाइल

ब्याज दर प्रोफाइल और राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान का विश्लेषण तालिका 1.38 एवं 1.39 में दिया गया है।

²³ पूर्व वर्ष में परिपक्व हुए परंतु दावा नहीं किया गया राशि ₹ 2,11 करोड़ इसमें शामिल है।

²⁴ इस में 31 मार्च के स्थिति में बकाया बाजार ऋण (₹ 3236.05 करोड़) + वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में अनुमानित बाजार ऋणों के प्राप्तियाँ (₹ 3000 करोड़) -बाजार ऋणों के अदायगी (₹156 करोड़) शामिल हैं। (₹ 3236.05 करोड़ + ₹ 3000 करोड़ + ₹ 156 करोड़ = ₹ 6080.05 करोड़)

तालिका-1.38 - ब्याज दर प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष को दौरान लागत बाजार ऋण					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
8 से कम	0	0	0	0	0	0
8-8.99	0	700 (8.25)	0	0	1,500 (8.65)	2,200
9-10.99	0	0	0	0	0	0
कुल एवं औसत ब्याज दर	0	700 (8.25)	0	0	1,500 (8.65)	2,200

(स्रोत: वित्त लेखे, वित्त विभाग)

ब्याज दर प्रोफाइल से देखा गया कि वर्ष 2009-10 तथा 2012-13 में लिये गये बाजार ऋण का विस्तार 8 से 8.99 प्रतिशत में मध्य रहा।

तालिका - 1.39: राजस्व प्राप्तिया के ऐवज में कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत

क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13व्
ब्याज अदायगी (₹ करोड़ में)	1,078	1,095	1,198	1,193	1,153
राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	6.88	6.03	5.27	4.61	3.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2008-09 में 6.88 से घटकर 2012-13 में 3.90 रह गया। यह कमी राज्य की ऋण स्थिरता में सुधार को संकेत करता है।

अन्य मुद्दे**1.10.2.8 पर्याप्त नकदों संतुलन को उपलब्धता के बावजूद उताया गया बाजार ऋण**

तेरहवें वित्त आयोग सिफारिश किया गया है कि राज्य जिसके पक्ष वृहद् नकदी शेष है को नया ऋण लेने तथा उपलब्धता के बावजूद नकदी आवश्यकता हेतु ऋण लेने के अभ्यास के स्थान पर मौजूदा नकदी शेष को उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के कर्यालय टीप/नस्ती के जाँच में पाया गया कि वित्त विभाग द्वारा बाजार ऋण कि आवश्यकता का मूल्यांकन उपलब्ध नकदी शेष तथा आय एवं अनुपातिक व्यय के आधार पर किया गया।

परन्तु, हमने पाया कि बाजार ऋण तक आवश्यकता का मूल्यांकन विवेकपूर्ण तरीके से नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान 14 दिनांक ट्रेजरी बिल में नकदी से शेष के निवेश का न्यूनतम तथा अधिकतम राशि क्रमशः ₹ 647.54 करोड़ और ₹ 2,541.56 करोड़ था। इस प्रकार वर्ष 2012-13 के दौरान न्यूनतम तथा अधिकतम नकदी शेष का निवेश क्रमशः ₹ 779.83 करोड़ तथा ₹ 3,505.27 करोड़ था। यह संकेत करता है कि नकदी शेष बढ़ाने के लिए लिखा गया बाजार ऋण वास्तविक आवश्यकता से अधिक था।

वित्त विभाग (अगस्त 2013) ने कहा कि वर्ष 2009-10 में आर्थिक मंदी था, नकदी शेष 27 अक्टूबर 2009 को चिन्ताजनक पुनः ₹ 676 करोड़ हो गया था, राज्य के संसाधनों के स्थिर विकास के कारण पून 31 मार्च 2013 को नकदी शेष ₹ 2,624 करोड़ हो गया । 2 अप्रैल 2013 को अंतिम समायोजन पर प्रभावी नकदी शेष उस दिनांक को ₹ 920 करोड़ रह गया । (नगदी शेष ₹1,534 करोड़ घटाव ₹ 614 करोड़ केन्द्रीय कर के लिए अप्रैल माह 2013 में)। यदि राज्य ₹1,500 करोड़ के बाजार ऋण को सहारा न लेती तो अधिविकर्ष के स्थिति का सामना करना पड़ता ।

उत्तर क्रम में नहीं थे चुंकि वर्ष 2009-10 (₹ 647.54 करोड़) एवं 2012-13 (₹ 779.83 करोड़) के दौरान निम्नतम नकदी शेष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नतम नकदी शेष 0.72 करोड़ से बहुत ज्यादा था । इसके अलावा निम्नतम नकदी निवेश बाजार ऋण प्राप्ति से एक माह में ₹1,433.86 करोड़ (11 दिसम्बर 2009) एवं ₹ 1,344.67 करोड़ (20 अप्रैल 2013) था, जो इंगित करता है कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नया ऋण लेने से पूर्व मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने संबंधी किए गये सिफारिशों का पालन नहीं किया गया ।

1.10.2.9 योजना आयोग द्वारा बाजार अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के सापेक्ष अनुमोदित बाजार ऋण कि सीमाएँ ।

वर्ष 2008-13 के दौरान योजना आयोग द्वारा बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के सापेक्ष अनुमोदित बाजार ऋण कि सीमाएँ तालिका 1.40 में दिया गया है ।

तालिका 1.40 योजना आयोग द्वारा बाजार ऋण हेतु, बाजार अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के सापेक्ष ऋण कि सीमाएँ :

(₹ करोड़ में)

शुद्ध बाजार ऋण का ऋण सीमा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमा	728	2,539	1,962	2,233	2,934
बजट अनुमान	692	1,299	1,763	2,084	2,083
संशोधित अनुमान	993	2,083	2,072	1,712	2,083
कुल वास्तविक बाजार ऋण	0	700	0	0	1,500
शुद्ध वास्तविक बाजार ऋण	-153	450	-235	-313	1,036

(नोट: योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना एवं बजट पुस्तिका)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वास्तविक बाजार ऋण तथा बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा योजना आयोग तथा निर्धारित सीमा के बीच काफी अन्तर था । यह इंगित करता है कि बाजार ऋण हेतु मूल्यांकन सही नहीं था । वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार ने अनुमान को संशोधित किया जो बजट अनुमान एवं योजना आयोग द्वारा तय सीमा से अधिक था हालांकि इन वर्षों में उधारी की आवश्यकता नहीं थी तथा इन वर्षों के दौरान नहीं लिया गया । बाजार ऋण संविधान के अनुच्छेद 293 (3)के तहत भारत सरकार के सहमति/अनुमोदन से प्राप्त किया गया ।

1.10.2.10 बाजार ऋण के उपयोग के निगरानी हेतु प्रणाली

छठीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन आधिनियम 2005 के अनुसार बाजार ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिये होना चाहिए । सरकार ऋण के प्रत्येक किश्त का उद्देश्य अधिसूचित करे या बाजार ऋण को

विकास योजनाओं के वित्तपोषण हेतु सुधार है। यह देखा गया कि वित्त विभाग द्वारा बाजार ऋण लेने के पश्चात इसके उपयोग के निगरानी हेतु कोई प्रणाली हेतु कोई प्रणाली विकासित नहीं किया गया जिसके परिणामतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पायी कि बाजार ऋण को उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया गया था विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए। यद्यपि हमने यह पाया कि पूंजीगत व्यय (ऋण वितरण सहित) वर्ष 2008-09 से 2012-13, 2010-11 को छोड़कर के दौरान शुद्ध ऋण तथा राजस्व आधिक के योगफल से ज्यादा रहा। उधारी के उपरान्त उपयोग के संबंध के लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर वित्त विभाग द्वारा यह कहा गया कि यह खुले ऋण होने के कारण सीमाकंन नहीं किया जा सका। निर्गम सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा कहा गया कि खुले बाजार ऋण लेने वाले क्षेत्र सुनिश्चित किया जाना तथा प्रत्येक प्राप्ति एवं व्यय के मध्य पत्राचार करना सम्भव नहीं था। वित्त विभाग द्वारा दिया गया जवाब सी.जी एफ आर बी एम अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, ऋण के उपयोग के कुशल और प्रभावी ऋण प्रबंधन के लिए निगरानी किया जाना चाहिए।

1.10.2.11 विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को राज्य द्वारा वितरित ऋण पर औसत ब्याज दर

सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 (₹ 897 करोड़) एवं 2012-13 (₹ 1,889 करोड़) में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू) को दिए गए ऋण का औसत ब्याज दर क्रमशः 7.74 तथा 7.28 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 1.6 अ एवं ब**)। यद्यपि वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में बाजार ऋण क्रमशः 8.25 प्रतिशत तथा 8.65 प्रतिशत लिया गया। अतः ब्याज विस्तार वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में नकारात्मक हो गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार एजेंसियों को वित्तीय संस्थानों के अपेक्षा कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करती है चूंकि ये एजेंसियाँ समाज कल्याण के लिए सरकार के योजनाओं का कार्यक्रमों को चलाती हैं। जहाँ तक बाजार ऋण के उच्च ब्याजदर का प्रश्न है यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। खुला बाजार ऋण नीलामी के आधार पर किया जाता है या बाजार कि विभिन्न ताकते ब्याज दर तय करती है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा चुकाए गए ब्याज की वसूली संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों से वसूल किया जाएगा।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे, राज्य शासन के वित्त के एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखे का घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का घोतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण के तरीके तथा जिस तरह संसाधन जुटाए गए एवं प्रयुक्त किये गये राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह अनुभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा इन


घाटों को पूरा करने के तरीके एवं एफ आर बी एम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट:- 1.12 एवं 1.13 तथा तालिका 1.25 वर्ष 2008-13 की अवधि के लिए घाटे की प्रवृत्तियों के सूचकों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत - संबंधित वर्षों के वित लेखे)



(स्रोत - संबंधित वर्षों के वित लेखे)

तालिका-1.41: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+) 1,869	(+) 888	(+) 3,364	(+) 3,239	(+) 2,606
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-) 1,027	(-) 1,759	(+) 410	(-) 801	(-) 2,655
प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)	(+) 51	(-) 664	(+) 1,608	(+) 392	(-) 1,502

(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008-13 के दौरान अंतर विचलन के साथ राजस्व आधिक्य राज्य में जारी रहा। राजस्व आधिक्य का पतन 2011-12 में ₹ 125 करोड़ (तीन प्रतिशत) से प्रारंभ हुआ जो आगे 2012-13 में गत वर्ष के तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 19.20 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 14.35 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह 20 प्रतिशत (₹ 633 करोड़) घटकर ₹ 2,606 करोड़ रह गया। सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के तुलना में राजस्व आधिक्य 2011-12 के 2.32 के तुलना में वर्ष 2012-13 में 1.63 घट गया।

राजकोषीय घाटा, जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, 2008-09 में ₹ 1,027 करोड़ बढ़कर 2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ हो गया लेकिन 2010-11 के दौरान ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में परिवर्तन हो गया। उसके बाद यह पुनः राजकोषीय घाटा में परिवर्तित होकर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,655 करोड़ रहा। राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात 1.66 प्रतिशत था जो कि तेरहवें वित्त आयोग तथा एफ आर बी एम अधिनियम में उल्लेखित तीन प्रतिशत के अंदर था।

राजकोषीय घाटा में वृद्धि तथा ब्याज अदायगी में सुक्ष्म कमी के कारण वर्ष 2012-13 में प्राथमिक आधिक्य ₹ 392 से परिवर्तित होकर ₹ 1502 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता है एवं राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय, ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय का आधिक्य है, राजकोषीय घाटे का विघटन प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली तालिका 1.42 में प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-1.42 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं वित्तीय पद्धतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का विभाजन					
राजस्व घाटा(-) / आधिक्य (+)	1,869.06	888.22	3,363.79	3,239.33	2,606.25
निवल पूँजीगत व्यय	(-)2,938.38	(-)2,742.61	(-) 2,948.95	(-)4,052.47	(-)4,916.94
निवल कर्ज एवं अग्रिम ²⁵	42.67	95.39	(-) 5.08	11.97	(-)344.45
कुल	(-)1,026.65	(-)1,759.00	409.76	(-)801.17	(-)2,655.14
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रकार/नमूना*					
बाजार से लिए गए उधार	(-)153.44	449.85	(-) 235.03	(-)313.14	1,036.47
भारत सरकार से उधार	94.93	106.83	67.38	(-)85.15	(-)152.37
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)2.78	146.33	373.47	13.00	15
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)41.73	(-)67.36	(-) 101.49	(-)45.86	119.34
अल्प बचत, पीएफ इत्यादि	73.74	294.37	328.97	307.76	293.47
जमा एवं अग्रिम	30.20	(-)22.47	355.26	585.94	521.18
उचन्त एवं विविध	1,024.80	512.00	(-) 2,129.58	1,758.77	(-)1,107.52
प्रेषण	80.65	(-)111.83	33.68	96.10	(-)264.11
अन्य ²⁶	265.96	244.91	(-) 28.08	58.90	332.15
कुल	1,372.33	1,552.63	(-) 1,335.42	2,376.32	793.61
समस्त आधिक्य(+)/घाटा(-)	345.68	(-)206.37	(-) 925.66	1,575.15	(-)1,861.53
कुल	1,026.65	1,759.00	(-) 409.76	801.17	2,655.14

* वर्ष के दौरान ये सभी आँकड़े निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही हैं।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

राजकोषीय आधिक्य, शुद्ध पूँजीगत व्यय, शुद्ध ऋण एवं अग्रिम राजकोषीय घाटे के कारक हैं। राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण तथा भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण द्वारा पोषित ऋण की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि मुख्यतः शुद्ध पूँजीगत व्यय के वृद्धि तथा ऋण वितरण से हुई तथा घटे हुए राजस्व आधिक्य से कमी आई। वर्तमान वर्ष के दौरान जब वित्त राजकोषीय घाटा में बाजार ऋण का हिस्सा 39 प्रतिशत था, तब वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को दी गई विशेष प्रतियुक्तियों का हिस्सा पॉव प्रतिशत था। हालांकि वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण, अल्प बचतें, भविष्य निधि, निक्षेपों तथा अग्रिमों, उचन्त तथा विविध प्रेषणों में कमी आई। वर्ष 2012-13 के दौरान समस्त घाटा ₹ 1,861.53 करोड़ था।

²⁵ इसमें अन्तर्राज्यीय समायोजन शामिल है।

²⁶ इसमें आकर्मिता नधि, रिजर्व फन्ड शामिल हैं।

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे²⁷ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक ऋण निधियों का उपयोग वर्तमान उपयोग/खपत के लिए किया गया।

प्राथमिक घाटे का विभाजन (**तालिका-1.43**) यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे का कारण पूँजीगत व्यय में वृद्धि रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका -1.43: प्राथमिक घाटा/आधिक्य के कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय ²⁸	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (33435)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	16,199	12,716	2,940	492	16,148	(+) 3,481	(+) 51
2009-10	19,151	16,170	2,745	900	19,815	(+) 2,981	(-) 664
2010-11	23,286	18,157	2,952	569	21,678	(+) 5,129	(+) 1,608
2011-12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	(+) 5,721	(+) 392
2012-13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	(+) 5,305	(-) 1,502

(स्त्रोत- संबंधित वर्षों का वित लेखे)

वर्ष 2008-13 के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय का ₹ 12,716 करोड़ से ₹ 25,819 करोड़ (108 प्रतिशत) होने की वजह से गैर ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 के 16,199 करोड़ से वर्ष 2012-13 के ₹ 31,124 से 92.13 प्रतिशत (₹ 14,925 करोड़) का बढ़ गया।

राज्य के प्राथमिक आधिक्य के घटकों के विभाजन से स्पष्ट होता है कि पिछले दो वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक आधिक्य था। हालांकि 2012-13 के अवधि के दौरान ₹ 1,502 करोड़ के प्राथमिक घाटा में तब्दील कर दिया गया। दुसरे शब्दों में वर्ष 2012-13 के अवधि के राजस्व लेखों में प्राथमिक व्यय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य की गैर ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

²⁷ प्राथमिक राजस्व घाटा राज्य के गैर व्याज राजस्व एवं उनकी गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि राज्य के राजस्व खाते के अन्तर्गत प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को दर्शाता है।

²⁸ राज्य का प्राथमिक व्यय व्याज भुगतान के अलावा कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्ष के दौरान हुए लेन देनों पर किये गये व्यय को दर्शाता है।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य राजस्व आधिक्य बनाये रखा और राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष रखा जो तेरहवें वित्त आयोग तथा एफ आर बी एम द्वारा रखे गए सीमा के अंदर था। हालांकि मुख्य मानकों के आधार पर राजकोषीय स्थिति में गिरावट आया। जबकि राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष से घटा था, राजकोषीय घाटा बढ़ा। राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण, वर्ष 2011-12 के दौरान प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2012-13 में प्राथमिक घाटे में बदल गया।

चालु वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 19,268 करोड़ था जो एफ.आर.बी.एम. में किये गये प्रक्षेपण 14.72 प्रतिशत के विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 12.03 प्रतिशत है।

राजस्व प्राप्तियाँ

मुख्यतः स्वयं का कर राजस्व में 22 प्रतिशत वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत बढ़ गईं।

राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ 13,034 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बनाए गये सामान्य मूल्यांकन (₹ 11,320 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 12,176 करोड़) से ज्यादा था।

राज्य के करेतर राजस्व (₹ 4,616 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपण (₹ 2,652 करोड़) से ज्यादा था लेकिन यह बजट अनुमान (₹ 5,346 करोड़) के लक्ष्य की हासिल नहीं कर सका।

अनुशंसा

राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में बजट अनुमान के अनुसार करेतर राजस्व को गतिशील बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

राजस्व व्यय

वर्ष 2012-13 के अवधि में राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रभावशाली हिस्सा (80 प्रतिशत) जारी रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 14,532 करोड़) बजट अनुमान (₹ 15,631 करोड़) से सात प्रतिशत (₹ 1,099 करोड़) कम रहा।

पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 15 प्रतिशत रहा तथा पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत बढ़ा। यह बजट अनुमान में किए गया प्रक्षेपण से 32 प्रतिशत कम रहा।

अनुशंसा

राज्य बढ़ते पूँजीगत व्यय को कुल व्यय का एक हिस्सा मान सकता है ताकि विकास को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक पूँजी को उत्पन्न किया जा सके।

संघ से राज्य की क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) को सीधे निधि अंतरण

केन्द्र सरकार ने केन्द्र आयोजित योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य की क्रियान्वयन अभिकरण को बड़ी मात्रा के निधि ($\text{₹ } 4497.58$ करोड़) का सीधे अंतरण किया। इन निधियां का प्रवाह राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं हुआ और इसलिए राज्य वित्त लेखे में इसे उल्लेखित नहीं किया गया है।

अनुशंसा

भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित किए गए निधि के यथोचित लेखे को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली रखना है तथा अद्यतन जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

निवेश तथा ऋण एवं अग्रिम पर प्रतिफल

राज्य सरकार मार्च 2013 के अंत तक $\text{₹ } 1,916.18$ करोड़ का निवेश किया था तथा वसूली के कारण बकाया ऋण तथा अग्रिम $\text{₹ } 1864.66$ करोड़ रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः केवल 0.11 प्रतिशत तथा 0.44 प्रतिशत था जबकि सरकार ने अपनी उधारी पर 6.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया है।

अनुशंसा

सरकार उच्च लागत वाली निधि के निवेश के लिए उचित औचित्य सुनिश्चित कर सकती है।